



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4.

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931

No. 33]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2010

सं. एल-1/13/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (2) (म) के साथ पठित धारा 66 और राष्ट्रीय विद्युत नीति के पैरा 5.7.1 (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

भाग-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (i) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 है।
- (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन :

- (i) इस विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) ‘वार्षिक आवर्तन’ से विद्युत में मिलियन यूनिट (एमयू) में ऐसा आवर्तन अभिप्रेत है जिसकी संगणना वित्तीय वर्ष में पावर एक्सचेंज पर किए गए सभी प्रकार के संव्यवहारों की कुल संख्या पर विचार करते हुए की जाएगी।

उदाहरणार्थ : यदि 10 एमयू का संव्यवहार किया जाता है तो 10 एमयू का ही आवर्तन समझा जाएगा तथा न कि उस संव्यवहार की क्रय मात्रा के रूप में 10 एमयू तथा विक्रय मात्रा के रूप में 10 एमयू के अतिरिक्त सूचित पर।

- (ग) "स्वचालित आडिट ट्रेल" से बाद की तारीख/समय के संदर्भ के लिए पावर एक्सचेंज की इलैक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली में संव्यवहारों (सृजन, उपांतरण या लोप) के समय-अनुक्रम का स्वचालित सृजन तथा रखरखाव अभिप्रेत है ;
- (घ) "बोर्ड" से पावर एक्सचेंज का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ङ) "उत्पादक संघ" से बाजार भागीदारों द्वारा ऐसा कार्य अभिप्रेत है जो विद्युत के उत्पादन, वितरण, विक्रय या कीमतों या संव्यवहार को नियंत्रित करने या नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए बनाए गए संगम द्वारा किया गया हो ;
- (च) "संविदा" से विद्युत या उससे संबंधित उत्पादों के क्रय या विक्रय के लिए या उससे संबंधित संविदा अभिप्रेत है ;
- (छ) "समाशोधन निगम" से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जो एक्सचेंज पर व्यापार की गई ऐसी सभी संविदाओं का समाशोधन और वित्तीय निपटान आरंभ करेगा जिससे वह सहबद्ध है या जो समय-समय पर यथासंशोधित इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा विरचित नियमों तथा विनियमों के अनुसार एक्सचेंज से बाहर व्यापार की गई कोई संविदाएं हैं ;
- (ज) "समाशोधन" से पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार के बंद के परिणामस्वरूप एक्सचेंज के सदस्यों की बाध्यताओं के अवधारण की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;
- (झ) "ग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने ऐसे सदस्य या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से निपटान और/या समाशोधन के लिए पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के सदस्य के साथ करार निष्पादित किया है ;
- (ञ) "क्रेडिट जोखिम" से किसी संविदा करने वाले पक्षकारों की वित्तीय शर्त में परिवर्तन के कारण संविदा से उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है ;
- (ट) "आगे की दिन की संविदा" से ऐसी संविदाएं अभिप्रेत हैं जहां संव्यवहार (टी) दिन को किए जाते हैं तथा ऊर्जा का परिदान अगले दिन (टी + 1)

को किया जाता है तथा जिसकी अनुसूची राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी जाती है ।

- (ठ) "व्युत्पन्नी संविदा" से ओटीसी बाजार या एक्सचेंज में संव्यवहार की गई विद्युत संविदा अभिप्रेत है और जो विद्युत में अंडरलाइनिंग आस्ति से अपने मूल्यों को व्युत्पन्न करती है (अर्थात् आगे के दिन की विद्युत संविदा या अन्य तत्काल बाजार संविदा या अन्य संदर्भ सूचकांक);
- (ड) "विद्युत व्यापारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (26) के अधीन हैं ।
- (ड.) "एक्सचेंज" से पावर एक्सचेंज और अन्य एक्सचेंज अभिप्रेत हैं ;
- (ण) "इंटर-डे संविदा/आकस्मिक संविदा" से ऐसी संविदाएं अभिप्रेत हैं जहां संव्यवहार आगे के दिन के संव्यवहार बंद होने के पश्चात् (I) दिन को होता है तथा विद्युत का परिदान उसी दिन (टी) या अगले दिन (टी + 1) को होता है जिनकी अनुसूची प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी जाती है ।
- (त) "भार प्रेषण केंद्र" (एलडीसी) से; यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी), प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) अभिप्रेत है;
- (थ) "बाजार" से ऐसा मंच/प्लेटफार्म अभिप्रेत है जहां क्रेता तथा विक्रेता सीधे या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, के माध्यम से, या इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों (जिसमें पावर एक्सचेंज भी सम्मिलित हैं) के माध्यम से विद्युत या उससे संबंधित उत्पादों का क्रय या विक्रय करते हैं ;
- (द) "बाजार तेजी" से पावर एक्सचेंज द्वारा स्वीकार किया गया ऐसा तंत्र अभिप्रेत है जहां बाजार में ऐसे पूर्व अवधारित (एनएलडीसी द्वारा) बोली क्षेत्रों या जोनों में पारेषण संकुलन की दशा में तेजी आती है जिसकी निकासी उनकी अपने-अपने क्षेत्रों की कीमत पर व्यष्टिक रूप से ऐसे की जाती है कि प्रत्येक बोली क्षेत्र में ऊर्जा का संतुलन व्यष्टिक बोली क्षेत्रों में मांग तथा प्रदाय के आधार पर तथा साथ-साथ विभिन्न बोली क्षेत्रों के बीच उपलब्ध पारेषण कॉरीडोर क्षमता का उपयोग करके किया जा सके;

- (घ) "पावर एक्सचेंज के सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अनुसार पावर एक्सचेंज द्वारा इस रूप में स्वीकार किया गया है;
- (न) "समाशोधन निगम का सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अनुसार समाशोधन निगम द्वारा इस रूप में स्वीकार किया गया है ;
- (प) "सदस्य सेवा प्रभार" का वही अर्थ है जो विनियम 27 में है ;
- (फ) "शुद्धधन (नेटवर्थ)" से समादत्त ईक्विटी पूंजी का कुल मूल्य तथा संचित हानियों के कुल मूल्य द्वारा घटाई गई आरक्षितियां (जिसमें पुर्नमूल्यांकन से सृजित आरक्षितियां नहीं हैं), अपलिखित न किए गए आस्थगित व्यय (जिसमें प्रकीर्ण खर्चे भी हैं) तथा सहयुक्तों के ऋण तथा अग्रिम अभिप्रेत है ;
- (ब) "आरंभिक स्थिति" से ऐसी क्रय या विक्रय स्थिति अभिप्रेत है जब संव्यवहार निष्पादित किए गए हों किंतु परिदान या वित्तीय व्यवस्थापन पूरी न की गई हो तथा जहां कोई भी व्यक्ति कीमत या क्रेडिट या प्रचालनात्मक जोखिम को स्पष्ट कर सकेगा ;
- (भ) "प्रचालनात्मक जोखिम" से प्रणालियों, प्रक्रमों, तकनीकी त्रुटि या ब्रेकडाउन, तकनीकी कारणों से ऊर्जा की गैर-अनुसूचीकरण के कारण संविदा से उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है;
- (य) "अन्य एक्सचेंज" से विनियम 3 (iii) के अर्थातर्गत पावर एक्सचेंज के सिवाय ऐसे एक्सचेंज अभिप्रेत हैं जहां विनियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं का संव्यवहार किया जाता है;
- (र) "ओवर दि काउंट (ओटीसी)" का वहीं अर्थ होगा जो विनियम 3 के खंड (i) में है;
- (कक) "स्थिति" से एक्सचेंज या ओटीसी बाजार के भागीदार की विक्रय या क्रय कार्रवाई के परिणामस्वरूप उद्भूत वित्तीय तथा वस्तुगत स्थिति अभिप्रेत है ;
- (खख) "कीमत जोखिम" से संविदा की अवधि के दौरान संविदा/आस्ति की कीमत में परिवर्तन के कारण संविदा में उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है ;

- (गग) "पावर एक्सचेंज" से इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक्सचेंज अभिप्रेत है;
- (घघ) "आरक्षितियां" से मूल शेयर पूंजी के सिवाय, शेयरधारकों की ईक्विटी का कोई भाग अभिप्रेत है ;
- (ङ.ङ.) "सुरक्षित नकद विनिवेश" से हाथ नकदी, नकद के समकक्ष (नकद समकक्षी अल्पकालिक हैं, उच्च नकद विनिवेश, जो नकद रकम में तुरंत संपरिवर्तित की जाती है और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अध्यक्षीन होती हैं) तथा बैंकों में मांग जमा से युक्त नकद आस्तियों में विनिवेश अभिप्रेत है ;
- (चच) "व्यवस्थापन गारंटी निधि (एसजीएफ)" से पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम द्वारा अनुरक्षित ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसका उपयोग ऐसे सदस्यों के व्यतिक्रमों का निपटान करने के लिए किया जाता है जो पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के व्यतिक्रम निवारण तंत्र में विहित है तथा इसमें निधियों के ऐसे कोई भी स्रोत सम्मिलित हो सकेंगे जैसा समय-समय पर आयोग के पूर्व अनुमोदन से, पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम द्वारा अवधारित किया जाए ;
- (छछ) "व्यवस्थापन" से एक्सचेंज पर किए गए संव्यवहार के परिणामस्वरूप, सदस्यों की बाध्यताओं का निर्वहन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;
- (जज) "अल्प-कालिक बाजार" से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए संविदाओं सहित बाजार अभिप्रेत है ;
- (झझ) "तत्काल बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जहां विद्युत का वस्तुगत परिदान या तो संव्यवहार (टी) की तारीख के रूप में उसी दिन या अगले दिन (टी + 1) को किया जाता है ;
- (ञञ) "आगे की अवधि का बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जहां विद्युत का वस्तुगत परिदान संव्यवहार (टी) की तारीख से एक से अधिक (टी + 2 या उससे अधिक) आगे की तारीख को किया जाता है तथा ऐसे बाजार में संविदाओं का संव्यवहार साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक या अग्रिम में किया जाता है तथा संविदा की समाप्ति पर परिदान अवधि को निर्धारित किया हो और जिसका अनुसूचीकरण प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता है ।

(ii) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय तथा जब तक संदर्भ के विरुद्ध न हो या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों के अधीन परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में है।

भाग - 2

विनियम का विस्तार तथा लागू होना

3. ये विनियम विद्युत से संबंधित ओटीसी बाजार तथा एक्सचेंज बाजार को लागू होंगे, और जहां —

(i) ओवर दि काउंटर बाजार - ओवर दि काउंटर बाजार अंतर-राज्यिक बाजार है जहां क्रेता तथा विक्रेता प्रत्यक्षतः संव्यवहार करते हैं या विद्युत व्यापारी के माध्यम से संव्यवहार करते हैं, तथा जहां संविदा की कीमत तथा निबंधन का अवधारण ऐसी बातचीत, जो पक्षकारों के बीच तय की जाती है या प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से या विद्युत व्यापारी के माध्यम से किया जाता है। ऐसे बाजारों में निष्पादित संविदाओं के जोखिम, यथास्थिति, स्वयं पक्षकारों द्वारा या अनुज्ञप्त व्यापारियों के बीच तय किए जाते हैं।

(ii) पावर एक्सचेंज बाजार - पावर एक्सचेंज बाजार वह बाजार है जहां क्रेता, विक्रेता, विद्युत व्यापारी, पावर एक्सचेंज के सदस्य मानकीकृत संविदाओं पर संव्यवहार करते हैं तथा पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम ऐसी संविदाओं के प्रतिरूप हैं तथा अन-नुसूचीकरण प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता है जब तक इसके साथ वास्तविक परिदान नहीं किया जाता है।

(iii) अन्य एक्सचेंज बाजार - अन्य एक्सचेंज ऐसा बाजार है जहां विद्युत की व्युत्पन्नी संविदाएं, संविदाएं या उसके संबंधित उत्पादों का संव्यवहार ऐसे मानकीकृत संविदा विनिर्देशों पर किया जाता है जहां एक्सचेंज या समाशोधन निगम ऐसी संविदाओं के प्रतिरूप हो।

4. ये विनियम निम्नलिखित प्रकार की संविदाओं को लागू होंगे :

(i) ओटीसी बाजार में परिदान आधारित अल्प-कालिक संविदाएं -

(क) क्रेता तथा विक्रेता के बीच प्रत्यक्षतः ओटीसी संविदाएं - ऐसे अंतर-राज्यिक संव्यवहार, जिसमें क्रेता तथा विक्रेता संविदा करते हैं और संविदा की कीमत तथा अन्य निबंधन का विनिश्चय बातचीत या प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं।

(ख) विद्युत व्यापारी के माध्यम से ओटीसी संविदाएं -

I. बैक-टू-बैक सौदा - ऐसे अंतर-राज्यिक संव्यवहार, जिनमें विद्युत व्यापारी एक पक्षकार से किसी विशिष्ट अवधि के लिए ऊर्जा की विनिर्दिष्ट मात्रा का क्रय करता है तथा उसके ठीक बाद उसे उसी निबंधनों तथा शर्तों पर किसी दूसरे पक्षकार को बेच डालता है। ऐसे संव्यवहार किसी कीमत जोखिम के लिए व्यापारी को जोखिम में नहीं डालते हैं। यह व्यापारी को क्रेडिट जोखिम तथा प्रचालनात्मक जोखिम में डाल सकता है।

II. आरंभिक स्थिति सहित सौदा - ऐसा अंतर-राज्यिक संव्यवहार है जिसमें विद्युत व्यापारी कीमत के आधार पर या अन्य कारकों की दृष्टि से, ऊर्जा का क्रय या विक्रय संविदा करते हैं तथा ऐसी रणनीति अपनाते हैं जो वह ठीक समझें।

दृष्टान्त: विद्युत व्यापारी ए संविदागत कीमत पर दीर्घ-कालिक अवधि के लिए ऊर्जा का क्रय करता है तथा विभिन्न समयों पर विभिन्न कीमतों पर ट्रांजेज में बी, सी डी को ऊर्जा बेचते हैं।

III. संकलित प्रदायकर्ता/क्रेताओं से संविदा करते हैं तथा उसे एक से अधिक क्रेताओं/विक्रेताओं को बेचते हैं।

(ii) ओटीसी बाजार में संव्यवहार की गई वित्तीय रूप से तय व्युत्पन्नी संविदाएं - यह वह संविदा है जो अंडर लाइनिंग आस्तियों (अर्थात् आगे के दिन की विद्युत संविदा या अन्य तत्काल बाजार संविदा या अन्य संकर्म सूचकांक) से अपने मूल्य को व्युत्पन्न करती है। संविदा कीमत को संव्यवहार के समय नियंत्रित किया जाता है। अंतिम वित्तीय निपटान कीमत संविदा की समाप्ति पर अंडर लाइनिंग आस्ति की तत्काल कीमत पर आधारित होती है। ये संविदाएं व्युत्पन्नी संविदाएं, स्वैप तथा अन्य संरचित संविदाएं आदि हो सकती हैं।

(iii) एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई परिदान आधारित संविदाएं -

- (क) अंतरा-दिन संविदा/आकस्मिक संविदा
- (ख) आगे की दिन की संविदा
- (ग) आगे की अवधि की संविदा

- (iv) एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई वित्तीय रूप से तय विद्युत व्युत्पन्नी संविदाएं यह ऐसी संविदा हैं जो अंडरलाइनिंग आस्ति (अर्थात् आगे के दिन की विद्युत संविदा या अन्य तत्काल बाजार संविदा या अन्य संदर्भ सूचकांक) से अपने मूल्य को व्युत्पन्न करती हैं। संविदा कीमत संव्यवहार के समय नियत की जाती है। अंतिम वित्तीय निपटान कीमत तथा संविदा की समाप्ति पर अंडरलाइनिंग आस्ति की तत्काल कीमत के आधार पर होती हैं। ये संविदाएं भावी संविदा तथा अन्य मानकीकृत संविदाएं आदि हो सकती हैं :
- (v) नवीकरणीय स्रोतों, अर्थात् पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) से उत्पादित विद्युत के साथ जुड़ी कोई अन्य संविदाएं।
- (vi) क्षमता से संबंधित क्षेत्रों, ऊर्जा कीमत सूचकांक और विद्युत से संबंधित अन्य क्षेत्रों में कोई नई संविदा।
- (vii) क्षमता संविदाएं - ये ऐसी संविदाएं हैं जहां उत्पादन केंद्र की क्षमता को अग्रिम में बुक किया जाता है तथा विद्युत प्रेषण करने के लिए उत्पादक की अपेक्षा के अधिकार के साथ प्रतिफल क्रेताओं द्वारा संदत्त किया जाता है जब कभी ऐसे क्रेता द्वारा संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय अपेक्षा की जाए। इनका संव्यवहार ओटीसी बाजार और/या एक्सचेंजों या दोनों पर किया जा सकता है।
- (viii) आनुषंगिक सेवा संविदाएं - ये संविदाएं आनुषंगिक सेवाओं के लिए हैं। ऊर्जा प्रणाली (या ग्रिड) प्रचालन में आनुषंगिक सेवाएं ग्रिड की ऊर्जा क्वालिटी, विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अर्थात् आगामी भार की रिएक्टिव ऊर्जा सहायता, ब्लैक स्टार्ट आदि, आवश्यक सहायक सेवाएं हैं।

5. ये विनियम सभी बाजार भागीदारों को लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है -

- (i) ग्रिड संयोजित इकाईयां किंतु जो उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारियां, ऐसे उपभोक्ता सम्मिलित हैं, जिन्हें निर्बाध पहुंच प्रदान नहीं की गई है ;
- (ii) व्यापार व्यापारी ;
- (iii) आयोग द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंज तथा समाशोधन निगम;
- (iv) पावर एक्सचेंज का सदस्य ;

- (v) समाशोधन निगम का सदस्य ;
- (vi) अन्य एक्सचेंज ; तथा
- (vii) कोई अन्य संव्यवहार करने वाले पक्षकार ।

भाग 3

आयोग द्वारा संविदाओं का अनुमोदन/निलंबन

6. आयोग एक्सचेंज पर संव्यवहार करने के लिए इस निमित्त किए गए आवेदन पर इन विनियमों के भाग 2 में यथा विनिर्दिष्ट संविदाओं को आरंभ करने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परंतु यह कि अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा ऐसी संविदाओं को लागू नहीं होगी जिनका संव्यवहार आयोग के अनुमोदन से इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को पावर एक्सचेंज पर किया जाता है:

परंतु यह और कि विद्युत व्यापारी को इन विनियमों के अधीन कोई अनुमोदन अभिप्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी किंतु वे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करेंगे और उसके विनियम 59 (iii) में यथा विनिर्दिष्ट व्यापार रिपोर्ट करने की अपेक्षा का पालन करेंगे ।

7. (1) विनियम 6 के अधीन अनुज्ञा चाहने वाला एक्सचेंज पूर्ण तथा विस्तृत संविदा विनिर्देश आयोग को प्रस्तुत करेंगे ।

(2) आयोग, विनियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सचेंज को ऐसा प्राधिकार प्रदान करने से पूर्व, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, ऐसी संविदाओं के अन्य पैरामीटरों, जो समुचित समझे जाएं, की समीक्षा करेगा:-

- (i) संविदा का प्रकार (आगे के दिन, आवधिक दिन आदि) ;
- (ii) कीमत प्रकटीकरण पद्धति तथा प्रस्तावित मैचिंग नियम ;
- (iii) संव्यवहार अवधि जब संव्यवहार आरंभ किया जाएगा तथा किस अवधि के लिए परिदान करने से पूर्व संव्यवहार जारी रहेगा ;
- (iv) जोखिम प्रबंधन तंत्र -

- (क) मार्जनिंग तंत्र ;
 - (ख) अंतिम कीमत परिनिर्धारण तंत्र
 - (v) (क) परिदान तंत्र
 - (ख) परिदान अवधि - अंतः दिन, दैनिक, सप्ताह, मास, विशिष्ट समय या वर्ष के लिए है ।
 - (vi) संविदागत विचलन के लिए शास्ति (आगे की अवधि के बाजार के लिए)
- संविदागत विचलन क्रमशः संविदागत विद्युत की तत्स्थानी ऊर्जा तथा अंतःक्षेपण के स्थान पर क्रेता/विक्रेताओं द्वारा वास्तविक अनुसूचित ऊर्जा के बीच अंतर है:
- परंतु यह और कि किसी नई प्रकार की संविदा के अनुमोदन के पश्चात् पूर्ण संविदा विनिर्देशों को आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । तत्पश्चात्, उपरोक्त उल्लिखित पैरामीटरों से भिन्न विनिर्देशों में उपांतरण को स्वयं एक्सचेंज द्वारा उक्त उपांतरणों को प्रभावी करने के सात दिन के भीतर आयोग को सूचना देते हुए, किया जा सकता है ।

8. इन विनियमों में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार की संविदा नहीं करेगा या संव्यवहार नहीं करेगा जब तक कि इस निमित्त जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा इस प्रकार आरंभ करने की अनुज्ञा नहीं दे दी जाती है -

- (i) व्युत्पन्नी संविदाएं ;
- (ii) आनुषंगिक सेवा संविदाएं ;
- (iii) क्षमता संविदाएं ;

परंतु यह कि आयोग विद्युत की युक्तियुक्त कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए तथा बाजार में नकदी तथा अस्थिरता, मांग आपूर्ति स्थिति तथा अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ऐसी संविदाओं की अनुज्ञा देगा ।

9. यदि आयोग की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, यथास्थिति, किसी संविदा पर संव्यवहार को निलंबित कर सकेगा या बाजार या एक्सचेंज से किसी संविदा को प्रत्याहृत कर सकेगा ।

भाग - 4

बाजार तथा बाजार डिजाइन के सिद्धांत

10. पावर एक्सचेंज निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य करेगा:-

- (i) उचित, निष्पक्ष, दक्ष तथा संतुलित कीमत प्रकटीकरण को सुनिश्चित करेगा;
- (ii) व्यापक तथा शीघ्र कीमत विकीर्णन प्रदान करेगा ;
- (iii) मानकीकृत संविदाओं की डिजाइन करेगा तथा ऐसी संविदाओं में नकदी बढ़ाने का प्रयास करेगा ।

स्पष्टीकरण: - नकदी संव्यवहार की गई संविदा के बाजार कीमत में अल्पतम प्रभाव के साथ संव्यवहार में प्रवेश करने या उसमें बने रहने का सुगम उपाय है ।

11. पावर एक्सचेंज आगे के दिन के बाजारों की दशा में, निम्नलिखित बाजार डिजाइन को स्वीकार करेंगे:-

क. कीमत प्रकटीकरण

- (i) उच्चतम सामाजिक कल्याण के मितव्ययी सिद्धांत तथा कीमत प्रकटीकरण के दौरान साथ-साथ विक्रेता तथा क्रेता अधिशेष का सृजन ।
- (ii) बोली तंत्र आगे के दिन के आधार पर दो तरफा बंद बोली नीलामी होगी ।
- (iii) अनवरुद्ध बाजार के लिए कीमत प्रकटीकरण ऐसे सभी विक्रेताओं तथा क्रेताओं के लिए एक समान बाजार समाशोधन कीमत होगी;
- (iv) पारेषण कॉरीडोर में संकुलन की दशा में, बाजार उछाल तंत्र को स्वीकार किया जाएगा ।
- (v) ऊर्जा का परिदान/निकासी प्रादेशिक बीमा पर किया जाएगा ।

ख. परिदान प्रक्रिया

- (i) पावर एक्सचेंज में भागीदार, पावर एक्सचेंज में भाग लेने से पूर्व अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केंद्रों, यदि लागू हो, की सहमति से, सहमति, पूर्व स्थायी निकासी या अनापत्ति" लेगा ;

- (ii) पारेषण प्रभारों तथा पारेषण हानियों को समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार जारी सामूहिक संव्यवहारों का अनुसूचीकरण (निर्बाध-पहुंच) की प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा ।
- (iii) आगे के दिन के बाजार में संविदाओं का वस्तुगत परिदान आवश्यक है तथा यह व्यापार करने वाले भागीदारों पर आबद्धकर होगा ।
- (iv) पावर एक्सचेंज पर संविदाओं की अनुसूचीकरण तथा परिदान प्रणाली प्रचालक के समन्वय और समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाएगा । प्रचालनात्मक ब्यौरे समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार जारी सामूहिक संव्यवहारों के अनुसूचीकरण (निर्बाध पहुंच) की प्रक्रिया के अनुसार होंगे ।
- (v) पावर एक्सचेंजों को पारेषण कारीडोर का आबंटन आयोग के निदेशानुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाएगा ।

12. ओटीसी बाजार: - संव्यवहार के निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा:-

- (i) ओटीसी बाजार क्षेत्र के भागीदारों का साधारण समाधान करेगा तथा बाजार में नवीनता लाने का प्रयास करेगा ।
- (ii) ग्राहक को बेची जाने वाली संविदाएं उपयुक्तता, समुचितता तथा संविदा कीमत की पूर्ण सामग्री प्रकटीकरण, उसके जोखिम तथा संविदा करने वाले पक्षकारों के प्रभाव पर आधारित होगी ।

13. वस्तुगत बाजार डिजाइन ऊर्जा प्रणाली की पूर्ण सुरक्षा तथा विश्वस्तता होनी चाहिए तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में बाजार तंत्र को ग्रिड सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए ।

भाग - 5

पावर एक्सचेंज

14. किसी भी पावर एक्सचेंज का प्रचालन इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसे पावर एक्सचेंज, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को आयोग द्वारा अनुमोदन/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया हो, वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार के अधीन रहते हुए, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे:

परंतु यह और कि कार्य कर रहे पावर एक्सचेंज इन विनियमों के अनुरूप करने के लिए अपनी उप-विधियों, नियमों तथा व्यवसाय नियमों में परिवर्तन करेंगे तथा उन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर आयोग में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे:

परंतु यह भी कि विद्यमान अनुमोदित उप-विनियम, नियम तथा कारबार नियम तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक आयोग पुनरीक्षित उप-विधियों, नियमों तथा कारबार नियमों को अनुमोदित नहीं कर देता है:

परंतु यह और कि विद्यमान अनुमोदित उपविधियों, नियमों तथा कारबार नियमों में की गई कोई बात या किए जाने के लिए आशयित कोई कार्यवाई जहां तक वह इन नियमों के उपबंधों के असंगत हो, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई तथा किए जाने के लिए आशयित समझी जाएगी ।

15. पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

(i) क. कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत पब्लिक कंपनी के रूप में शेयर समामेलित करके कोई लिमिटेड कंपनी ;

ख. कंपनियों का ऐसा कोई परिसंघ, जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थागत पब्लिक कंपनी के रूप में शेयरों को समामेलित विशेष प्रयोजन ट्रैकिल (एसपीवी) के माध्यम से पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए स्वयं के बीच करार किया हो:

परंतु यह कि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया तब आरंभ की जाएगी यदि परिसंघ, परिसंघ के सदस्यों के बीच किए गए ऐसे करार की प्रति प्रस्तुत करते हुए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है किंतु रजिस्ट्रीकरण केवल तब किया जाएगा जब परिसंघ ने यथापूर्वोक्त एसपीवी समामेलित किया हो ।

(ii) आवेदक कंपनी का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक रूप से पावर एक्सचेंज स्थापित करना तथा उसे प्रचालित करने का होगा तथा आनुषंगिक उद्देश्य आयोग के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा क्षेत्र और उसकी आनुषंगियों से संबंधित अन्य कारबार करना हो सकेगा:

परंतु यह भी कि ऐसी कंपनी प्रत्येक अन्य कारबार के लिए पृथक लेखा बहियों को बनाए रखेगी और ऐसा कारबार लोक हित के प्रतिकूल नहीं होगा ।

16. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया

(i) पावर एक्सचेंज स्थापित करने और चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

(कारबार का संचालन) विनियम, 1999 के अनुसार आयोग के समक्ष याचिका के रूप में फाइल किया जाएगा।

- (ii) आवेदक के प्रमुख ब्यौरे, प्रस्तावित संव्यवहार प्लेटफार्म तथा उस वेबसाइट के पते, जहां पूर्ण आवेदन को देखा जा सकता है, को आवेदन करने के सात दिन के भीतर, कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों, जिसमें एक इकनोमिक दैनिक समाचारपत्र भी है, के सभी संस्करणों में तीस दिन की अवधि तक पब्लिक से आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा।
- (iii) फाइल किए गए आवेदन तथा आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को समाचार-पत्रों में नोटिस के प्रकाशन की तारीख से न्यूनतम 30 दिन की अवधि के लिए आवेदक की वेबसाइट पर डाला जाएगा या रखा जाएगा।
- (iv) आवेदक समाचार-पत्र में अपने प्रकाशन के 45 दिन के भीतर सार्वजनिक नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों का उत्तर फाइल करेगा।
- (v) आयोग आवेदक द्वारा प्रकाशित सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों तथा उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकेगा।
- (vi) जब आयोग रजिस्ट्रीकरण का प्रस्ताव करता है, वह उसके प्रस्तावों पर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में अपने प्रस्तावों की सूचना प्रकाशित करेगा, जैसा वह समुचित समझे, जिसमें उस व्यक्ति का नाम तथा पता दिया जाएगा जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है तथा ऐसे अन्य ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे जैसा आयोग समुचित समझे।
- (vii) प्राप्त और आपत्तियों या सुझावों तथा उस पर आवेदक के उत्तर पर विचार पर, आयोग रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा यदि आवेदन अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है:

परंतु यह कि जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी आवेदन को रद्द नहीं किया जाएगा।

17. पावर एक्सचेंज स्थापित करने और प्रचालित करने वाला व्यक्ति अपने आवेदन के साथ आयोग को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

- (i) आवेदन करने वाली कंपनी का संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद ;
- (ii) कंपनियों के परिसंघ की दशा में, पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए परिसंघ के सदस्यों के बीच औपचारिक करार प्रस्तुत किया जाएगा;
- (iii) परिसंघ सदस्यों के विद्यमान कारबार के ब्यौरे;

- (iv) पिछले तीन वर्षों के लिए एक विस्तार तक लागू आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट और/या संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां ;
 - (v) निम्नलिखित ब्यौरों से युक्त परियोजना रिपोर्ट:
 - (क) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का गठन;
 - (ख) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज के निधियन का स्रोत;
 - (ग) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का प्रबंध तथा प्रशासनिक संरचना;
 - (घ) पावर एक्सचेंज द्वारा अर्जित किए जाने के लिए उपलब्ध/प्रस्तावित अवसंरचनात्मक प्रसुविधाएं;
 - (vi) साधारणतया प्रस्तावित पावर एक्सचेंज से संबंधित प्रस्तावित पावर एक्सचेंज का प्रारूप नियम तथा विशिष्टितया, जो निम्नलिखित से संबंधित हो; -
 - I. पावर एक्सचेंज का निदेशक-बोर्ड, उसका गठन तथा शक्तियां ;
 - II. पावर एक्सचेंज का प्रबंधन तथा वह रीति जिसमें उसके कारबार का संव्यवहार किया जाना है ;
 - (vii) प्रस्तावित पावर एक्सचेंज की प्रारूप उप-विधियां जिसमें विनियम 24 में विनिर्दिष्ट पहलु सम्मिलित हों ।
18. पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए प्रज्ञावान संनियम
- (i) पावर एक्सचेंज के पास हमेशा न्यूनतम 25 करोड़ का नेटवर्थ होगा:

परंतु यह कि पावर एक्सचेंज हमेशा उपरोक्त नेटवर्थ को बनाए रखेगा तथा यदि पावर एक्सचेंज द्वारा क्रेताओं/विक्रेताओं को किए गए संदाय में व्यतिक्रम, जिसमें एसजीएफ का उपयोग भी सम्मिलित है, ऋण के कारण उसमें कोई कमी होती है तथा जिससे नेटवर्थ पर प्रभाव पड़ा हो तो पावर एक्सचेंज तत्काल उपरोक्त कमी की तारीख से 3 मास के भीतर उपरोक्त नेटवर्थ मानदंडों का अनुपालन करने के लिए अपने नेटवर्थ में वृद्धि करेगा:

परंतु यह कि जब कभी पावर एक्सचेंज समाशोधन निगम से अपने समाशोधन कृत्यों को पृथक् करता है तो उसे न्यूनतम 5 करोड़ रुपए के नेटवर्थ की आवश्यकता होगी:

परंतु यह कि आयोग, समय-समय पर, आदेश द्वारा, नेटवर्थ मानदंडों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।
 - (ii) आवेदक के लिए, माना जाने वाला नेटवर्थ उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में न्यूनतम होगा, जिसमें आवेदन किया जाता है या ऐसी कम अवधि जिसके दौरान आवेदक को समामेलित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित किया गया है तथा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ विशेष तुलन पत्र की तारीख को होगा ।

- (iii) कार्य कर रहे पावर एक्सचेंज का नेटवर्थ अंतिम संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार होगा;
- (iv) समझौता गारंटी निधि (एसजीएफ)
- (क) पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम सुरक्षित विनिवेशों में ही एसजीएफ के आगमों का विनिधान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि मूल रकम जोखिम में नहीं है । 50% एसजीएफ आगमों को सुरक्षित लिक्विड विनिवेशों में रखा जाएगा ।
- (ख) पावर एक्सचेंज द्वारा एसजीएफ विनिवेश विवरणियों को उनके द्वारा निधि को बनाए रखने तक प्रतिधारित किया जाएगा । समाशोधन निगम के एकत्रित करने (हिव आफ) की दशा में, एसजीएफ विनिधान विवरणियां समाशोधन निगम द्वारा प्रतिधारित की जाएंगी ।
- (ग) एसजीएफ के उपयोग के सिद्धांतों तथा पद्धतियों को पावर एक्सचेंज के सदस्यों को पावर एक्सचेंजों की उपविधियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से संसूचित किया जाएगा ।
- (घ) यथास्थिति, पावर एक्सचेंज की वार्षिक रिपोर्ट या समाशोधन निगमों की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय एसजीएफ के विनिवेश के ब्यौरों को वार्षिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (ङ) पावर एक्सचेंजों पर वित्तीय व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए यथा-अपेक्षित पावर एक्सचेंजों तथा समाशोधन निगमों के लिए अतिरिक्त प्रज्ञावान संनियम और एसजीएफ को आदेश द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा तथा इन्हें एक बार अधिसूचित किए जाने पर, उनके निबंधनों का अनुपालन किया जाएगा ।

19. पावर एक्सचेंज का शेयरधारण पैटर्न:

- (1) पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारकों के लिए शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार होगा:
- (i) पावर एक्सचेंज के सदस्य से भिन्न शेयरधारक के पास पावर एक्सचेंज में अधिकतम 25% शेयर (प्रथमतः या अप्रत्यक्षतः) हो सकेंगे ।
- (ii) पावर एक्सचेंज के सदस्य के पास पावर एक्सचेंज में अधिकतम 5% शेयर (प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः) हो सकेंगे ।
- (iii) पावर एक्सचेंज में पूर्णतः ऐसी इकाईयों, जो पावर एक्सचेंज की सदस्य हैं, के स्वामित्वाधीन उसके कुल शेयरधारकों (प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः) का अधिकतम 49% हो सकेंगे ।

स्पष्टीकरण 1 - "अप्रत्यक्ष" से ऐसा सहयुक्त अभिप्रेत है जहां सहयुक्त, -

- (i) ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक के मताधिकार का छब्बीस प्रतिशत से अन्यून शेयर है या उन पर नियंत्रण है ; या

- (ii) उस व्यक्ति के, जिसके संबंध में, पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक के पास मताधिकार के छब्बीस प्रतिशत से अन्यून शेयर है या उन पर नियंत्रण है ; या
- (iii) ऐसा व्यक्ति जो इसी प्रबंधन में है जिसमें शेयरधारक पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने का आशय रखता है ।

स्पष्टीकरण-2: सहयुक्त को उसी प्रबंधन के अधीन समझा जाएगा ।

- (i) यदि पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक का प्रबंध-निदेशक या प्रबंधक सहयुक्त का प्रबंध-निदेशक या प्रबंधक है ; या
- (ii) यदि पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक के निदेशकों का बहुमत है या ठीक पूर्ववर्ती किसी समय छह मास के भीतर सहयुक्त के निदेशकों का बहुमत है ; या
- (iii) यदि पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक से संबंधित किसी मामले के संबंध में कुल मताधिकार शक्ति के एक तिहाई से अन्यून है और सहयुक्त उसी व्यक्ति या निगमित निकाय द्वारा प्रयोक्तव्य या नियंत्रण है ; या
- (iv) यदि ऐसे शेयरधारक के अधिक शेयर धारण करते समय पावर एक्सचेंज में ईक्विटी धारण करने के लिए आशयित शेयरधारक का कोई भी निदेशक सहयुक्त में बहुमत में शेयर धारण करता है ।

(2) शेयरधारण पैटर्न की रिपोर्ट समय-समय पर, आयोग को की जाएगी ।

20. विनियम 19 में किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व प्रदान किया गया अनुमोदन या सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदत्त किए गए पावर एक्सचेंज इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर विनियम 19 में यथाविनिर्दिष्ट शेयरधारण संरचना/पैटर्न को सुनिश्चित करेगा ।

21. पावर एक्सचेंज में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाना

- (i) आयोग ऐसी जांच, जो इस निमित्त आवश्यक समझें जाएं, करने के पश्चात् ऐसी और जानकारी, जो अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करने के पश्चात् पावर एक्सचेंज स्थापित करने तथा प्रचालन करने के लिए ऐसी शर्तों, जो ठीक समझी जाएं, के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा ।
- (ii) पावर एक्सचेंज का रजिस्ट्रीकरण, जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रत्याहृत या रद्द नहीं किया जाता है, प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

- (iii) उपरोक्त खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, आयोग इस निमित्त फाइल किए गए आवेदन के आधार पर 25 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगा:

परंतु यह कि नवीकरण के लिए आवेदन आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पांच वर्ष पूर्व किया जाएगा ।

22. पावर एक्सचेंज का स्वामित्व तथा शासित संरचना

- (i) स्वामित्व, प्रबंधन/प्रचालन तथा व्यापार में भागीदारी के बीच स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा ।
- (ii) स्वतंत्र निदेशक - बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य या न्यूनतम दो निदेशक, जो भी अधिक हो, पावर एक्सचेंज द्वारा गठित पैनल में चयनित तथा आयोग द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र निदेशक होंगे जिनमें से एक व्यक्ति के पास वित्त में शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव होगी । पैनल शिक्षाविदों, वृत्तिकों, उद्योग प्रतिनिधियों, सुविज्ञात व्यक्तियों से गठित किया जाएगा । उनमें से किसी भी व्यक्ति की पावर एक्सचेंज के किसी व्यापार करने वाले सदस्य के साथ हित नहीं होना चाहिए और किसी शेयरधारक के साथ कोई न्यासी संबंध नहीं होना चाहिए ।
- (iii) बोर्ड की कुल संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार होगी ।
- (iv) निदेशक बोर्ड के एक चौथाई सदस्य पावर एक्सचेंज के व्यापार करने वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।
- (v) बोर्ड मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक को नियुक्त कर सकेगा जो पावर एक्सचेंज के दिन-प्रतिदिन के कार्य को चलाने के लिए उत्तरदायी होगा । प्रबंध निदेशक पर्याप्त अर्हता के साथ एक वृत्तिक होगा तथा उसके पास सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होगा ।
- (vi) पावर एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक या दिन-प्रतिदिन के कार्यों का भार-साधक निदेशक या कोई भी कर्मचारी पावर एक्सचेंज के किसी व्यापार करने वाले सदस्य के साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या पावर एक्सचेंज के ग्राहक का भागीदार या उसकी धारक या समनुषंगी कंपनी के साथ सहयुक्त नहीं होगा ।
- (vii) पावर एक्सचेंज द्वारा किसी भी ऐसे परामर्शक या सलाहकार की सेवाएं ली जा सकती हैं जो एक्सचेंज की कीमत संवेदी जानकारी से न जुड़ा हो तथा

परामर्शक या सलाहकार तथा पावर एक्सचेंज द्वारा अन्य व्यक्तियों को दी जा रही सेवाओं के लिए आरंभ किए गए समनुदेशन के बीच कोई मतभेद न हो।

- (viii) प्रबंध-निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि पावर एक्सचेंज के सदस्यों की व्यक्तिगत बोलियों की भागीदारी बोर्ड के निदेशकों के बीच नहीं है।
- (ix) ऐसे पावर एक्सचेंज, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को या उसके पूर्व आयोग द्वारा अनुमोदन या सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अनधिक अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियम 22 में यथाविनिर्दिष्ट शासित संरचना का पालन किया गया है।

23. रजिस्ट्रीकरण प्रभार

पावर एक्सचेंज नीचे सारणी में यथा विहित वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार का संदाय करेगा:

पावर एक्सचेंज का वार्षिक टर्न ओवर (मिलियन यूनिट)	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार (रुपए लाख में)
10,000 से ऊपर	30
10,000 तक	15
5,000 तक	5

वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक, ये प्रभार सहायक सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या संदाय आदेश के माध्यम से या आयोग के खाते में धन के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा संदेय होंगे:

परंतु यह और कि आयोग, आदेश द्वारा समय-समय पर, वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभार की मात्रा का पुनर्विलोकन कर सकेगा:

परंतु यह भी कि पावर एक्सचेंज इसमें परिकल्पित किए जाने वाले अपने प्रवर्ग के कार्य के अनुसार घोषणा कर सकेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर घोषणाओं तथा वास्तविक के बीच किसी मतभेद की दशा में, वार्षिक रजिस्ट्रीकरण प्रभारों का समायोजन किया जाएगा।

24. पावर एक्सचेंज निम्नलिखित रूप में सम्मिलित अन्य अपेक्षाओं के साथ आयोग द्वारा अनुमोदित उपविधियों तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा:

- (क) कीमत प्रकटीकरण तथा मैचिंग तंत्र ;
- (ख) उसके सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व ;
- (ग) बाजार निगरानी तथा अन्वेषण ;
- (घ) समाशोधन तथा निपटान प्रक्रिया ;
- (ङ.) जोखिम प्रबंधन ;
- (च) व्यतिक्रम तथा शास्ति तंत्र ;
- (छ) संविदागत विचलनों के लिए शास्ति ;
- (ज) संव्यवहार प्रभार तथा इसके अवधारण का तंत्र ;
- (झ) उसके सदस्यों के ब्रोकरेज तथा कमीशन ;
- (ञ) अभिलेखों तथा लेखाओं का रखरखाव ;
- (ट) वार्षिक लेखाओं तथा उसके लेखा परीक्षा की तैयारी ;
- (ठ) माध्यस्थता, विवाद समाधान तथा सुलहकरण ;
- (ड) शिकायत निवारण तंत्र ;
- (ड) व्यापार घंटे आरंभ करना तथा बंद करना, संव्यवहार तथा निपटान कलेंडर ;
- (ण) एलडीसी द्वारा अपनी अनुसूचीकरण तक प्लेटफार्म खोलने की प्रक्रिया;
- (त) व्यतिक्रम को निपटने की प्रक्रिया, अर्थात्, अंतिम रूप से तय किए गए संव्यवहार की अनुसूची का असफल होना,
- (थ) पारेषण संकुलन से निपटने के लिए बाजार में तेजी लाने की पद्धति के ब्यौरे ; इसे प्रणाली प्रचालक/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के साथ इंटर-फेस डिजाइन का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया जाएगा ।
- (द) विद्यमान स्कीम के ब्यौरे
- (ध) सदस्यता के लिए अर्हताएं, अपवर्जन, निलंबन तथा निष्कासन ।
- (न) पावर एक्सचेंज द्वारा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, राज्य भार प्रेषण केंद्र का क्षतिपूरण:

परंतु यह कि उपविधियों और नियमों को आयोग के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकेगा ।

25. पावर एक्सचेंज का प्रबंधन

- (i) पावर एक्सचेंज के वरिष्ठ प्रबंधन में कम से कम दो पूर्ण-कालिक कुशल वृत्ति होंगे जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में अर्हताएं तथा अनुभव और विशेषज्ञता हो:-

पद्धति	अर्हता तथा अनुभव
--------	------------------

ऊर्जा प्रणाली प्रचालन	इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव
वित्त, वाणिज्य तथा लेखा	सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए (वित्त में) के साथ इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।

- (ii) पावर एक्सचेंज जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक होगा जो जोखिम निवारण उपायों तथा उसके अनुपालन को मानीटर करेगा ।
- (iii) पावर एक्सचेंज बाजार निगरानी समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक होगा तथा जिसमें पावर एक्सचेंज के कार्यपालक दल के सदस्य होंगे । इस समिति का कोई भी सदस्य पावर एक्सचेंज का सदस्य नहीं होगा ।
- (iv) पावर एक्सचेंज अपने सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के साथ एसजीएफ प्रबंधन समिति का गठन करेगा । यह समिति एसजीएफ प्रबंधन का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगी ।

26. पावर एक्सचेंज की सदस्यता

- (i) पावर एक्सचेंज की सदस्यता निम्नलिखित तीन प्रवर्गों की होगी:
 - (क) ऐसा सदस्य जो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी हो, या
 - (ख) ऐसा सदस्य जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी हो जिसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी या ग्रिड संयोजन इकाई भी हैं, या
 - (ग) ऐसा सदस्य, जो न तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी है और न ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसमें न तो समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है और न ही ग्रिड संयोजित इकाई भी है ।
- (ii) ऐसा सदस्य, जो न तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी है और न ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी है, जिसमें न तो समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है और न ही ग्रिड संयोजित इकाई है, अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं ही प्रदान कर सकता है:-
 - (क) इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्लेटफार्म पर बोली लगाने के लिए आई टी अवसंरचना या कुशल कार्मिक ;
 - (ख) ऊर्जा कीमतों तथा बोली लगाने की रणनीति का अनुसरण करने से संबंधित सलाहकार सेवाएं (अर्थात् मौसम संबंधी जानकारी, मांग प्रदाय प्रास्थिति आदि) ;
 - (ग) ऊर्जा के प्रदाय के लिए अपने ग्राहकों की ओर से प्रक्रियाओं का सरलीकरण (अर्थात् राज्य भार प्रेषण केन्द्र, स्थायी समाशोधन, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र आदि के साथ समन्वय) ।

किसी भी दशा में, ऐसा सदस्य अपने ग्राहकों को कोई क्रेडिट या वित्तीय या कार्यकरण क्षमता सुविधा प्रदान नहीं करेगा ।

- (iii) ऐसा सदस्य, जो विद्युत व्यापारी है, व्यापार करेगा तथा अपने स्वयं के खातों को पूरा करेगा या अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार पूरा करेगा । इस प्रवर्ग के सदस्य अपने ग्राहकों को उधार या वित्त या कार्यकरण पूंजी सुविधा प्रदान करेंगे ।
- (iv) ऐसा सदस्य जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी है, जिसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी या ग्रिड संयोजित इकाईयां भी हैं, व्यापार करेगा तथा अपने स्वयं के खाते को ही पूरा करेगा ।
- (v) पावर एक्सचेंज आयोग को प्रत्येक मास अपने ग्राहकों के साथ सदस्यों की विस्तृत सूची इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप के अनुसार प्रस्तुत करेगा: परंतु यह कि आयोग आदेश द्वारा, समय-समय पर, प्ररूपों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।
- (vi) व्यापार करने वाले सदस्यों के संव्यवहार में कोई भी विसंगति पाए जाने या इन विनियमों के अतिलंघन की दशा में, आयोग पावर एक्सचेंज के सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् पावर एक्सचेंज को ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का निदेश दे सकेगा । ऐसे किसी निदेश से इन विनियमों के अधीन पावर एक्सचेंज के विरुद्ध किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- (vii) आयोग पावर एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक व्यापार टर्मिनलों से निपटने तथा विद्युत में व्यापार करने वाले कार्मिकों के लिए अहर्ता परीक्षण आरंभ करने का निदेश दे सकेगा ;
- (viii) पावर एक्सचेंज, अपने स्व-विवेक से, पावर एक्सचेंज की सदस्यता के लिए कोई भी मानदंड अनुबद्ध कर सकेगा जिसमें शुद्ध धन, न्यूनतम आधार पूंजी/प्रतिभूति निक्षेप अपेक्षा, नकद आस्ति अपेक्षा भी सम्मिलित है ।
- (ix) पावर एक्सचेंज सदस्यता अभिप्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए समर्थित दस्तावेजों को बनाए रखेगा, जिसमें पावर एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मानदंड के अनुपालन के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज भी सम्मिलित हैं तथा उसे उसकी अपेक्षा किए जाने पर आयोग को प्रस्तुत करेगा । इन दस्तावेजों को सदस्य द्वारा पावर एक्सचेंज की सदस्यता को अभ्यर्पित करने या सदस्यता जब्त किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक बनाए रखा जाएगा ।
- (x) आयोग, आदेश द्वारा, व्युत्पन्नी संविदाओं में संव्यवहार करने के लिए कोई भी अतिरिक्त मानदंड अधिसूचित कर सकेगा ।

27. पावर एक्सचेंज में आगे के दिन तथा अवधि के आगे के बाजारों में उसके ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सदस्य सेवा प्रभार संव्यवहार मूल्य का 0.75% से अधिक नहीं

होगा। यह उच्चतर दर संपूर्ण उच्चतर दर होगी जिसमें कोई भी अधीनस्थ सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रभार भी सम्मिलित है:

परंतु यह कि ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, जो पावर एक्सचेंज के सदस्य हैं, के लिए पावर एक्सचेंज में आगे के दिन तथा अवधि के आगे बाजार में अपने ग्राहकों के लिए सदस्य सेवा प्रभार, समय-समय पर, यथासंशोधित केविविआ (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2006 के अनुसार केवल व्यापार मार्जिन होंगे:

परंतु यह और कि आयोग, आदेश द्वारा, समय-समय पर, सदस्य सेवा प्रभार मानदंड का पुनर्विलोकन कर सकेगा:

परंतु यह भी कि आयोग, आदेश द्वारा, व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए पृथक् रूप से सदस्य सेवा प्रभारों को अधिसूचित कर सकेगा:

परंतु यह भी कि सदस्य सेवा प्रभारों में पावर एक्सचेंज उद्गृहीत कोई प्रभार, पारेषण (निर्बाध पहुंच) प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र को संदेय अन्य प्रभार, कानूनी कर, आदि सम्मिलित नहीं है।

28. पावर एक्सचेंज द्वारा जोखिम प्रबंधन

- (i) पावर एक्सचेंज बाजार के परिवर्तित जोखिम प्रोफाइलों पर आधारित प्रज्ञावान तथा गतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को विरचित करते समय अंतरराष्ट्रीय बेहतर पद्धति को स्वीकार करेगा।
- (ii) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का पुनर्विलोकन करेगी तथा प्रत्येक वर्ष के जनवरी तथा जुलाई में छह मासिक आधार पर पावर एक्सचेंज पर कार्यवाही करेगी। आरएमसी रिपोर्ट निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। आरएमसी रिपोर्ट के साथ विषय-वस्तु पर निदेशक बोर्ड के विनिश्चय को जोखिम प्रबंधन पुनर्विलोकन प्रक्रिया के एक मास के भीतर और क्रमशः फरवरी तथा अगस्त की समाप्ति तक के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) सदस्यों के जोखिम की लगातार निगरानी की जाएगी तथा जोखिम प्रबंधन की क्षमता के लिए समुचित समय पर मार्जिन एकत्रित किया जाएगा।
- (iv) सदस्य पावर एक्सचेंज द्वारा ग्रास आधारित एक्रास ग्राहकों पर मार्जिन के अधीन रहते हुए होंगे। एक जैसे बाजार में सदस्यों के विभिन्न ग्राहकों की अवस्थिति के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा।

दृष्टांत: विद्युत व्यापारी सदस्य की दशा में, यदि उसके ग्राहक 'क' ने 50 एमडब्ल्यूएच की अवस्थिति का क्रय किया है तथा उसके ग्राहक 'ख' ने उसी संविदा को 50 एमडब्ल्यूएच की अवस्थिति में विक्रय किया है तो संविदा में सदस्य की क्रय अवस्थिति को 100 एमडब्ल्यूएच के रूप में लिया जाना है। संविदा के ग्राहक क की क्रय करने तथा ग्राहक ख की विक्रय करने की

अवस्थिति का योग नहीं किया जाएगा । मार्जिन संगणना के प्रयोजन के लिए सदस्यों की आरंभिक अवस्थिति को तय करने के लिए इसको जोड़ा जाएगा ।

- (v) सदस्यों के पास, जहां कहीं लागू हो, प्रज्ञावान जोखिम प्रणाली तथा अपने ग्राहकों से समय पर मार्जिन एकत्रित करने की प्रणाली होनी चाहिए । सदस्यों द्वारा ग्राहकों से एकत्रित मार्जिन की मात्रा सदस्यों के विवेकानुसार तथा पावर एक्सचेंज की उपविधियों के अनुसार होगी ।

29. पावर एक्सचेंज, यदि ठीक समझा जाए पृथक् समाशोधन निगम के लिए अलग-अलग समाशोधन तथा व्यवस्थापन कृत्य बना सकेंगे । यदि पावर एक्सचेंज वित्तीय व्युत्पन्नी संविदाएं आरंभ करता है तो समाशोधन निगम आज्ञापक होगा:

परंतु यह कि आयोग, जब वह समुचित समझें, तत्काल तथा आगे की अवधि के बाजारों के लिए समाशोधन निगम स्थापित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

30. पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम पर व्यतिक्रम उपचार तंत्र

- (i) किसी सदस्य को पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के निदेश या परिपत्र द्वारा व्यतिक्रमी घोषित किया जा सकेगा, यदि

- (1) वह अपनी समाशोधन या व्यवस्थापन बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ हों ; या
- (2) उसने अपने कर्तव्यों, बाध्यताओं तथा दायित्वों को पूरा करने या उनका निर्वहन करने में अपनी असमर्थता स्वीकार की हो या प्रकट की हो; या
- (3) वह पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध प्रभावित क्लोजिंग-आउट के कारण नुकसानी तथा शेषधन को विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय करने में असफल या असमर्थ हो ;
- (4) वह पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम को शोध्य किसी ऐसी राशि का संदाय करने में असफल रहा हो, जो समय-समय पर, उनके द्वारा विहित की जाए; या
- (5) वह किसी ऐसे सदस्य को, जो ऐसी रीति से ऐसे सदस्य की व्यतिक्रम की घोषणा के समय के भीतर व्यतिक्रमी घोषित किया गया हो तथा ऐसे व्यक्ति को, जैसा पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम निर्देश दें, देय सभी धन, विद्युत तथा अन्य संबंधित आस्तियों का संदाय या परिदान करने में असफल हो ; या
- (6) वह पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन यथा अधिकथित माध्यस्थ के विनिश्चय का अनुपालन करने में असफल हो; या

(7) किन्हीं ऐसी अन्य परिस्थितियों के अधीन, जैसा समय-समय पर, पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम द्वारा विनिश्चय किया जाए:

परंतु यह कि पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम अपने विवेकानुसार, यथास्थिति, पावर एक्सचेंज या समाशोधन निगम में व्यतिक्रमी घोषित किए जाने के लिए किसी भी अतिरिक्त मानदंड को अनुबद्ध कर सकेगा।

(ii) यदि किसी सदस्य को व्यतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा सदस्य समाशोधन तथा व्यवस्थापन बाध्यताओं को पूरा करने में असफल हो गया है तो पावर एक्सचेंज, यथास्थिति, सदस्य या ग्राहक के निक्षेप से पारेषण प्रभारों, अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभारों के संदाय को पूर्विकता देगा। तत्पश्चात्, पावर एक्सचेंज निम्नलिखित क्रम में बाध्यताओं को दूर करने के लिए आवश्यक सीमा तक निपटान निधि और अन्य धन का उपयोग कर सकेगा:-

- 1) आनुषंगिक परिशोधन: - व्यतिक्रम करने वाले सदस्य या ग्राहक द्वारा अभिदाय या निक्षेप, जिसमें किसी भी रूप में मार्जिन भी है।
- 2) प्रतिभूति निक्षेप का परिशोधन: - व्यतिक्रम करने वाले सदस्य द्वारा पावर एक्सचेंज को दिया गया सदस्यता निक्षेप।
- 3) बीमा धन: पावर एक्सचेंज द्वारा उस रकम के लिए ली गई बीमा का ब्यौरा पावर एक्सचेंज द्वारा व्यतिक्रमी सदस्य के विरुद्ध संरक्षा के लिए समुचित समझा जाए।
- 4) आरंभिक अंशदान, जो निपटान गारंटी निधि के मद्दे पावर एक्सचेंज द्वारा समुचित समझा जाए।
- 5) पावर एक्सचेंज के चालू वर्ष के लाभ, जिसमें सदस्यों से एकत्रित जुर्माना, शास्ति भी सम्मिलित है।
- 6) पावर एक्सचेंज की आरक्षितियां।
- 7) सभी सदस्यों या ग्राहकों द्वारा निपटान गारंटी निधि के मद्दे अंशदान। निपटान गारंटी निधि के मद्दे निक्षेप के अनुपात में सभी गैर-व्यतिक्रमी सदस्यों या ग्राहकों का अंशदान।
- 8) पावर एक्सचेंज की ईक्विटी पूंजी।
- 9) उपरोक्त निधियों के पश्चात् शेष बकाया अतिशेष बाध्यताओं को एसजीएफ में अपने अंशदान के अनुपात में सदस्यों या ग्राहकों से पूरा किया जाएगा:

परंतु यह और कि एक बार समाशोधन निगम को एकत्रित करने से व्यतिक्रम तंत्र का संचालन समाशोधन निगम द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में पावर एक्सचेंज दायी नहीं होगा।

31. पावर एक्सचेंज की सूचना तकनीकी अवसंरचना तथा व्यापार प्रणाली निम्नलिखित का अनुपालन करेगी:

- (i) पावर एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली तथा संसूचना नेटवर्क का उपयोग करेगा ;
- (ii) पावर एक्सचेंजों के सदस्यों द्वारा किए गए आर्डरों को पावर एक्सचेंज की आर्डर पुस्तिका में स्वीकृत किए जाने से पूर्व निधियों की उपलब्धता/जोखिम प्रबंधक प्रणाली में संपार्श्विक की पहले जांच की जाएगी । इस प्रक्रिया को समाशोधन निगम के सुनिश्चित कृत्य को पृथक् करने के पश्चात् भी जारी रखा जाएगा ।
- (iii) बोलियों, प्रस्तावों के स्वचालित संपरीक्षा ट्रेल तथा आर्डरों की मैचिंग या सुविधा पर संव्यवहारों के निष्पादन को बनाए रखा जाएगा ;
- (iv) कीमत प्रकटीकरण तथा बाजार उछाल के लिए साफ्टवेयर उपयोजन के एल्गोरिथम की आयोग द्वारा एक्सचेंज की प्रक्रिया के दौरान एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों तथा कारबार नियमों को प्रस्तुत करने के साथ उसकी सच्चाई के लिए समीक्षा की जाएगी ;
- (v) आयोग यादृच्छिक आधार पर कीमत प्रकटीकरण तथा बाजार की तेजी के लिए कार्य कर रहे एक्सचेंजों द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की संपरीक्षा कर सकेगा या संपरीक्षा के लिए अभिकरण की नियुक्ति कर सकेगा । एक्सचेंज आयोग द्वारा की गई जांच परिणाम तथा दृश्यलेख प्रस्तुत करेगा ।
- (vi) पावर एक्सचेंज आंकड़ों की संवीक्षा, आंकड़ों की संपूर्णता तथा प्रचालन दक्षता के लिए आवधिक आई टी प्रणाली की संपरीक्षा भी करेगा तथा अपनी रिपोर्ट वार्षिक रूप से आयोग को प्रस्तुत करेगा ।
- (vii) पावर एक्सचेंज आपातकालीन दशा में, आपदा प्रबंधन स्थल तथा वैकल्पिक व्यापार संविदा तैयार करेगा ।

32. परिदान प्रक्रिया

- (i) पावर एक्सचेंज पर संविदा की अनुसूचीकरण और उसका परिदान समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा भारतीय ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण का प्रचालन, समय-समय पर, यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन जारी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।
- (iii) विस्तृत प्रक्रिया में निम्नलिखित पहलू, यद्यपि वे सीमित नहीं होंगे, सम्मिलित होंगे:-
 - (क) सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए आवेदन को प्रस्तुत किया जाना तथा उस पर कार्यवाही ।

- (ख) एक से अधिक पावर एक्सचेंजों के बीच उपलब्ध पारेषण मार्जिनों की हिस्सेदारी ;
 - (ग) सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण ;
 - (घ) हानियों का निरूपण ;
 - (ङ.) वास्तविक-समय संकुलन प्रबंधन ;
 - (च) पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार, आवेदन फीस तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तें ;
 - (छ) संदाय तथा संदाय में व्यातिक्रम ;
 - (ज) संवितरण ;
 - (झ) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण को प्रचालन करने से संबंधित कोई अन्य मुद्दे ।
- (iv) पावर एक्सचेंज आगे के दिन के बाजार में बाजार में तेजी लाने वाले तंत्र का उपयोग करते हुए संकुलन प्रबंध तैयार करेगा । पावर बाजार आयोग के अनुमोदन से अपने स्वयं की बाजार पद्धति को विकसित कर सकता है ।
- (v) निकासी स्थान पर अनुसूचित तथा वास्तविक निकासी और अंतःक्षेपण स्थान पर अनुसूचित तथा वास्तविक अंतःक्षेपण के बीच किसी भी असमानता को, जिसमें ग्रिड संयोजित इकाई के पावर एक्सचेंज पर व्यापार की गई संविदाओं के लिए अनुसूची सम्मिलित है, प्रादेशिक इकाइयों की दशा में, आयोग द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यूआई तंत्र के अधीन ऐसी इकाइयों या अंतरा-राज्यिक इकाइयों की दशा में, संबंधित राज्य आयोग द्वारा यथा विहित किसी अन्य व्यवस्थापन प्रणाली के अधीन दूर किया जाएगा । यदि संबंधित राज्य आयोग ने कोई व्यवस्थापन प्रणाली विनिर्दिष्ट नहीं की है तो प्रादेशिक इकाई की सीमा पर अंतरा-राज्यिक इकाई के लिए अनुसूचित विनिमय दर 105% (अधिक निकासी या कम उत्पादन) तथा 95% (कम निकासी या अधिक उत्पादन के लिए) होगी ।
- (vi) पावर एक्सचेंज पर आगे की अवधि के संव्यवहारों की अनुसूचीकरण समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और किसी अन्य सुसंगत विनियमों द्वारा शासित होगी ।
- (vii) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा पावर एक्सचेंजों के बीच सभी आंकड़ों का आदान-प्रदान सुनिश्चित संचार चैनल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा ।
- (viii) पावर एक्सचेंज द्वारा क्षतिपूरण -
- (क) पावर एक्सचेंज को यह उपबंध करना चाहिए कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा समाशोधन सलाह सद्भावपूर्वक होगी । उपविधियों में यह भी

उपबंध किया जाएगा कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा समाशोधन/कटौती सलाह आबद्धकर नहीं होगी तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र या किसी कारण, चाहे जो भी हो, के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा अंतिम अनुसूचियों के बीच पूरी मैचिंग की प्राप्ति के लिए अयोग्यता के कारण कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

(ख) पावर एक्सचेंज, जिसमें उसके विक्रेता तथा क्रेता भी हैं, सभी समय पर प्रत्येक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक/राज्य भार प्रेषण केंद्रों को क्षतिपूरित रखेंगे तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक/राज्य भार प्रेषण केंद्रों को क्षतिपूरित, प्रतिरक्षा और सुरक्षा करने का वचनबंध करेगा तथा किसी ऐसी नुकसानी, हानियों, दावों तथा कार्रवाईयों, जिसमें किसी व्यक्ति की क्षति या उसकी मृत्यु या संपत्ति, मांग, वाद, वसूलियों, लागत तथा खर्चों, न्यायालय लागतों, अटर्नी फीस की नुकसानी भी सम्मिलित हैं, तथा संव्यवहारों से उद्भूत या उसके परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या उसकी सभी अन्य बाध्यताओं को अहानिकर रखेगा।

(ix) पावर एक्सचेंज आयोग तथा राज्य आयोगों द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार एलडीसी, एसटीयू को पारेषण प्रभारों, अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभारों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(x) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र प्रणाली प्रचालन के हित में समुचित विनिश्चय ले सकेगा। ऐसा विनिश्चय आयोग को सूचना देते हुए किया जाएगा।

33. पावर एक्सचेंज संकुलन रकम प्रबंधन

(i) पावर एक्सचेंज बाजार में तेजी के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमत में अंतर से उद्भूत संकुलन रकम निधि/पावर एक्सचेंज द्वारा एक पृथक् खाते में संकुलन रकम को निहित कर सकेगा।

संकुलन रकम को विनियामक निधि, जैसे आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, के लिए अगले कार्यदिवस को पावर एक्सचेंज द्वारा अंतरित किए जाने वाले पृथक् खाते में बनाए रखा जाएगा:

परंतु यह कि जब तक उपरोक्त निधि को सृजित नहीं किया जाता है तब तक संकुलन रकम को राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के खाते में अंतरित किया जाएगा तथा एक बार एनएलडीसी द्वारा निधि का सृजन किए जाने पर उसे उस निधि में अंतरित किया जाएगा।

(ii) संकुलन रकम निधि का उपयोग आयोग के निदेशों के अनुसार किया जाएगा। आयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निधि के उपयोग पर विचार कर सकेगा:-

- (क) वीएआर कंपनसेंटर्स, सीरीज कंपनसेंटर्स तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों की संस्थापना ;
- (ख) संकुलन अवमुक्ति के लिए सृजित अतिरिक्त पारेषण क्षमता
- (ग) संकुलन कटौती के लिए ग्रिड का तकनीकी अध्ययन करने के लिए
- (घ) ग्रिड में संकुलन कटौती की परियोजना-विनिर्दिष्ट की रियायती दरों पर ऋण देने के लिए वित्तीय संस्था के साथ संकुलन रकम निधि को पार्क किया जा सकेगा ।
- (ङ.) क्षमता निर्माण के उपाय करना तथा पावर एक्सचेंज के भागीदारों को प्रशिक्षण देने ;
- (च) पावर एक्सचेंज के भागीदारों के लिए सूचना प्रसार तंत्र को विकसित करने ।

(iii) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र तथा पावर एक्सचेंज संकुलन रकम निधि से उपयोग के लिए उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजनों के आधार पर विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के साथ आयोग के पास आ सकेंगे ।

34. पावर एक्सचेंज प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक आयोग को अपने संपरीक्षित तुलनपत्र के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

35. ऐसा पावर एक्सचेंज, जिसके पास अपने प्रचालन के प्रारंभ के दो वर्ष की अवधि के पश्चात् आने वाले लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए 20% से अन्यून बाजार शेयर हैं, प्रचालन बंद कर देगा या विद्यमान पावर एक्सचेंज का अगले छह माह की अवधि में विलय कर देगा । (इस प्रयोजन के लिए, बाजार आकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी पावर एक्सचेंजों में संव्यवहार की गई सभी संविदाओं के मिलियन यूनिट में वार्षिक टर्नओवर के रूप में परिभाषित किया जाता है):

परंतु यह कि यह विनियम तब लागू नहीं होगा, यदि केवल दो पावर एक्सचेंज प्रचालन में हों ।

36. विद्यमान स्कीम: पावर एक्सचेंज के पास रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा अपनी अनुमोदित विद्यमान स्कीम होगी जिसमें उस रीति के ब्यौरे होंगे जिसमें पावर एक्सचेंज पर वर्तमान संविदाओं को बंद किया जाएगा या पावर एक्सचेंज को बंद करने की दशा में सभी संव्यवहार की गई संविदाओं के लिए उत्तरवर्ती योजना होगी । तत्पश्चात् पावर एक्सचेंज की उपविधियों में विद्यमान स्कीम उपबंधित होगी:

परंतु यह कि इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से कार्य कर रहे पावर एक्सचेंज आयोग को एक वर्ष के भीतर अनुमोदन के लिए विद्यमान स्कीमों तथा उपविधियों को प्रस्तुत करेंगे ।

37. रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों तथा पावर एक्सचेंज को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित दशाओं में पावर एक्सचेंज को दिए गए रजिस्ट्रीकरण को वापस या रद्द कर सकेगा:

- (i) यदि पावर एक्सचेंज अनुदत्त रजिस्ट्रकरण के निबंधनों तथा शर्तों, यदि कोई हो, का लगातार अतिलंघन कर रहा है,
- (ii) यदि पावर एक्सचेंज किसी दुराग्रही कदाचार में लगा है;
- (iii) यदि पावर एक्सचेंज का नेटवर्थ किसी भी समय विनिर्दिष्ट रकम से कम हो जाता है;
- (iv) यदि पावर एक्सचेंज आयोग के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ।

38. रजिस्ट्रीकरण के ऐसे प्रत्याहरण या रद्दकरण में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्याहरण या रद्दकरण के पूर्व निष्पादित संविदाएं विधिमान्य रहेंगी तथा पावर एक्सचेंज द्वारा उसके कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित किया जाएगा ।

39. रजिस्ट्रीकरण के प्रत्याहरण या रद्दकरण के परिणामस्वरूप, ऐसे पावर एक्सचेंज के सदस्य पावर एक्सचेंज के सदस्य नहीं रह जाएंगे ।

40. पावर एक्सचेंज लंबित माध्यस्थम मामलों माध्यस्थम पंचाट, आकस्मिक प्रकृति, यदि कोई हो, के दायित्व/दावों से संबंधित किन्हीं दावों का निपटान तथा पावर एक्सचेंज के पास लंबित विनिवेशकर्ताओं के परिवादों/शिकायतों के लिए पर्याप्त निधियों को अपास्त करेगा ।

41. सदस्यों तथा ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण,

- (i) पावर एक्सचेंज सदस्यों द्वारा उसके विरुद्ध तथा ग्राहकों द्वारा उसके सदस्यों के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायत के ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर डालेंगे ।
- (ii) पावर एक्सचेंज पालन किए गए अनसरित प्रतिकूल समाधान तंत्र तथा शिकायत के समाधान को भी प्रकट करेगा ।

भाग - 6

समाशोधन निगम

42. समाशोधन निगम स्थापित करने तथा प्रचालित करने की अनुज्ञा प्रदत्त करने हेतु आवेदन, समय-समय पर, यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 के अनुसार याचिका के रूप में आयोग को फाइल किया जाएगा ।

43. पात्रता मानदंड

- (i) समाशोधन निगम एक पृथक् स्वतंत्र निगमित इकाई होगी ।
- (ii) इसे पावर एक्सचेंज द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थागत पब्लिक कंपनी के रूप में समामेलित किसी अन्य कंपनी द्वारा या ऐसे कंपनियों के परिसंघ, जिनका इस प्रयोजन के लिए औपचारिक करार हो, द्वारा

बनाया जा सकता है। परिसंघ द्वारा अंतिम रूप से विरचित समामेलित कंपनी को रजिस्ट्रीकृत दिया जाएगा।

(iii) समाशोधन निगम के पास कम से कम 25 करोड़ रुपए का शुद्धधन होगा:

परंतु, आयोग, समय-समय पर, नेटवर्थ मानदंडों का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

44. समाशोधन निगम आयोग के अनुमोदन के लिए अपने नियमों तथा उपविधियों को प्रस्तुत करेगा।

45. समाशोधन निगम पूर्ण नवाचार से कार्य करेगा, अर्थात् समाशोधन निगम प्रत्येक व्यापार के बीच स्वयं हस्तक्षेप करेगा तथा इसे दोनों के लिए या वैकल्पिक रूप से विधिक प्रतिरूप होने के कारण सभी संव्यवहारों के निपटान के लिए सशर्त गारंटी देनी चाहिए।

46. समाशोधन निगम आवधिक समाशोधन के कृत्य तथा यथास्थिति, एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई तुरंत, आगे की अवधि तथा व्युत्पन्नी विद्युत के किसी संव्यवहार का निपटान करेगा।

47. समाशोधन निगम का व्यतिक्रम उपचार तंत्र वैसा ही होगा जैसा विनियम 30 में है। समाशोधन निगम अपने सदस्यता मानदंड तथा अपने सदस्यों के समाशोधन संव्यवहार के लिए सेवा प्रभागों के ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर डालेगा।

48. समाशोधन निगम आयोग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ओटीसी व्यापार को भी निपटाएगा।

49. समाशोधन निगम निधियों के आदान-प्रदान के लिए इलैक्ट्रानिक निकासी तथा निपटान प्रणाली बनाएगा।

50. समाशोधन प्रणाली प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए बाध्यता रिपोर्टें, व्यापार रिपोर्टें, परिदान रिपोर्ट, शंकास्पद परिदान रिपोर्ट, निधि रिपोर्ट, मार्जिन रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टें को तैयार करेगा।

51. संबंधित पावर एक्सचेंज के एसजीएफ को समाशोधन निगम को अंतरित किया जाएगा तथा एक्सचेंज के समाशोधन निगम के इस क्रियाकलाप को हिवस् आफ करने पर इसका रखरखाव समाशोधन निगम द्वारा किया जाएगा।

52. समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रत्यायित क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा अपने समामेलन के छह मास के भीतर स्वयं क्रेडिट रेटिंग करेगा और उस संबंध में आयोग को सूचित करेगा। वह उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।

भाग - 7 बाजार निरीक्षण

53. आयोग विनियम 55 में यथाविनिर्दिष्ट अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह निम्नलिखित परिस्थितियों में बाजार निरीक्षण या निगरानी करने तथा बाजार की संपूर्णता के लिए आवश्यक समझे : -

- (i) छलसाधन या छलसाधन का प्रयास करने वाले क्रियाकलाप ;
- (ii) ऐसे संव्यवहार, जो भ्रामक या प्रवंचक हो, या जिनकी भ्रामक या प्रवंचक होने की संभावना हो ;
- (iii) कीमत बढ़ाने के लिए अनधिकृत सट्टेबाजी ;
- (iv) किसी भी प्रकार की लिखत चुनौतियां ;
- (v) किसी भी प्रकार के बाजार का दुरुपयोग ;
- (vi) किसी भी व्यापार भागीदारी द्वारा बाजार की स्थिति का दुरुपयोग।

54. हस्तक्षेप के लिए अपेक्षित अन्य परिस्थितियां

- (i) आयोग, अपना यह समाधान हो जाने पर कि बाजार में नीचे उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान हैं या होने की संभावना है, आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे : -
 - (क) विद्युत की कीमतों में प्रसामान्य वृद्धि या कमी ;
 - (ख) विद्युत की कीमतों में अचानक या अयुक्तियुक्त उतार-चढ़ाव या अनधिकृत परिवर्तन तथा उच्च अस्थिरता ;
 - (ग) एक्सचेंज पर अचानक उच्च व्यापार मात्रा।
- (ii) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग लिखित में आदेश द्वारा, --
 - (क) बाजार में विद्युत की कीमतों पर निम्नतम या कैप अधिरोपित कर सकेगा ;
 - (ख) कूलिंग आफ अवधि के लिए व्यापार क्रियाकलापों को निलंबित कर सकेगा (अस्थिरता में वृद्धि की दशा में) ;

- (ग) एक्सचेंज पर किसी विनिर्दिष्ट संविदा के संव्यवहार को निलंबित कर सकेगा ;
- (घ) एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई संविदाओं के लिए मार्जिन में वृद्धि कर सकेगा (उच्च सट्टेबाजी की दशा में)
- (ङ.) व्यापार निपटानों के लिए ही व्यापार को अनुज्ञात कर सकेगा ।
- (च) एक्सचेंज पर एक भागीदार की आरंभिक स्थिति को सीमित कर सकेगा;
- (छ) एक्सचेंज पर बाजार की व्यापार स्थिति को सीमित कर सकेगा ।

55. कतिपय मामलों का अन्वेषण

- (i) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि विनियम 49 में विनिर्दिष्ट कोई भी कारक विद्यमान हैं, किसी भी समय, लिखित में आदेश द्वारा किसी विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी सदस्य से अपने संव्यवहार क्रियाकलापों के मामलों से संबंधित लिखित जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकेगा ।
- (ii) उपरोक्त उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए, आयोग किसी व्यक्ति को (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "अन्वेषण प्राधिकारी" कहा गया है) किसी विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के सदस्य के किसी भी क्रियाकलाप, जिसमें उसकी लेखा बहियां भी हैं; का अन्वेषण करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगा तथा ऐसे अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी अन्वेषण की रिपोर्ट आयोग के पास भेजने का निदेश दे सकेगा:

परंतु यह कि अन्वेषण प्राधिकारी, जब कभी आवश्यक हो, इस विनियम के अधीन किसी अन्वेषण में उसकी सहायता करने के प्रयोजन के लिए किसी संपरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा:

परंतु यह और कि अन्वेषण प्राधिकारी ऐसे निरीक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के सदस्य को देगा ।

- (iii) विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी सदस्य का प्रत्येक प्रबंधक, प्रबंध-निदेशक या अन्य अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उप-विनियम (ii) के अधीन अन्वेषण करने के लिए अन्वेषण प्राधिकारी के समक्ष अपने पास रखी गई सभी लेखा-बहियों, रजिस्ट्रों तथा अन्य दस्तावेज को पेश करें तथा उसे, यथास्थिति, विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के सदस्य के कार्यों से संबंधित किसी ऐसे कथन तथा जानकारी को भी दे जैसा उक्त अन्वेषण प्राधिकारी ऐसे समय के भीतर देने की अपेक्षा करे जैसा उक्त अन्वेषण प्राधिकारी निदेश दे ।

- (iv) उपविनियम (i) या उपविनियम (ii) के अधीन कोई जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग, यथास्थिति, विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी सदस्य को ऐसा अवसर देने के पश्चात् रिपोर्ट के संबंध में ऐसा अभ्यावेदन देने के लिए, जो आयोग की राय में युक्तियुक्त समझा जाए, लिखित में आदेश द्वारा, --
- (क) विद्युत व्यापारी या एक्सचेंज या एक्सचेंज के सदस्य से रिपोर्ट से उद्भूत किसी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा आयोग उचित समझे ; या
- (ख) इन विनियमों के अधीन पावर एक्सचेंज के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ; या
- (ग) पावर एक्सचेंज को सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का निदेश दे सकेगा ; या
- (घ) पावर एक्सचेंज को पावर एक्सचेंज के कारबार को जब्त करने का निदेश दे सकेगा:
- परंतु यह कि उपरोक्त विनिर्दिष्ट कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है ।

56. अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति

जहां अन्वेषण या हस्तक्षेप के दौरान, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों का उल्लंघन किया गया है या उल्लंघन लगातार किया जा रहा है या ऐसे कार्य के किए जाने की संभावना है तो आयोग आदेश द्वारा किसी पक्षकार को अस्थायी रूप से ऐसे कार्य को करने से तब तक रोक सकेगा जब तक कि ऐसे पक्षकार को कोई सूचना दिए बिना, ऐसा अन्वेषण या हस्तक्षेप पूरा नहीं हो जाता है या अगले आदेश तक जहां ऐसा करना आवश्यक समझे ।

57. पावर एक्सचेंज द्वारा जानकारी का दिया जाना

- (i) एक्सचेंज सभी सुसंगत कीमत सुग्राही जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डालेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा किंतु वह इस तक ही सीमित नहीं होगी:-
- (क) भारतीय मौसम की स्थिति की दैनिक जानकारी ;
- (ख) ईंधन कीमत जानकारी ;
- (ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट में उपलब्ध डामों का जलाशय स्तर ;

- (घ) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी कोई आवश्यक बाजार जानकारी दी जाएं ;
- (ङ.) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/प्रादेशिक ऊर्जा समिति में उपलब्ध उत्पादकों/पारेषण लाइनों की योजनाबद्ध रखरखाव अनुसूची ;
- (च) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध मांग भविष्यवाणी जानकारी तथा भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट ।
- (ii) एक्सचेंज की वेबसाइट पर कीमतें, मात्रा तथा ऐतिहासिक कीमतें भी उपलब्ध होंगी तथा आसानी से डाउनलोड किया जा सके ।
- (iii) व्यापार कीमतें, अर्थात् मास की अधिकतम, न्यूनतम तथा औसत तथा व्यापार की गई औसत मात्रा को मास में एक बार दो प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा ।
- (iv) पावर एक्सचेंज संपूर्ण देश में नियमित आधार पर सदस्य/ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा ।

58. एक्सचेंज द्वारा बाजार निगरानी

- (i) सभी पावर एक्सचेंज संव्यवहारों की दिन प्रतिदिन मानीटरिंग तथा निगरानी करने के लिए एक बाजार निगरानी समिति का गठन करेंगे । वे उप-विनियम (v) में यथा उल्लिखित अन्य विश्लेषण भी करेंगे ।
- (ii) पावर एक्सचेंज बाजार निगरानी समिति का गठन करेंगे जिसका अध्यक्ष बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक होगा तथा सदस्य एक्सचेंज के कार्यकारी दल से होंगे । इस समिति का कोई भी सदस्य पावर एक्सचेंज का सदस्य नहीं होगा ।
- (iii) पावर एक्सचेंज निगरानी विभाग बाजार निगरानी समिति को अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । बाजार निगरानी समिति आयोग को तिमाही निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- (iv) बाजार निगरानी केवल प्राधिकृत कार्मिकों द्वारा वस्तुगत सुनिश्चितता तथा निर्बंधित क्षेत्र से ही की जाएगी तथा कार्मिक सभी समय पर जानकारी तथा आंकड़ों की सुरक्षा को बनाए रखेंगे तथा विशेषकर जब नीलामी बोली आरंभ हो । ऐसे कार्मिकों के सभी वाद-विवादों को अभिलिखित किया जाएगा तथा इस संबंध में उसको ज्ञात कराया जाएगा कि ये अभिलिखित टेलीफोन लाइनें हैं । ओडियो टेप मांगे जाने पर आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी ।
- (v) बाजार निगरानी समिति बोली पैटर्न तथा भागीदारों के व्यापारों का विश्लेषण करेगी तथा निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों, किंतु जो सीमित नहीं होंगे, में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:-
 - (क) ग्राहकों, संविदाओं की आरंभिक स्थिति;

- (ख) विनिर्दिष्ट समय-अवधि पर संव्यवहार करने की एक्सचेंज के सदस्यों की पद्धति ;
 - (ग) कीमतों की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक उच्च विश्लेषण (आगे के दिन तथा आगे की अवधि की संविदा कीमत);
 - (घ) विक्रेता तथा क्रेता का कीमत सेटलर विश्लेषण
 - (ङ.) प्रबल भागीदार तथा बाजार एकाग्रता ;
 - (च) सर्कुलर व्यापारिक मानीटरिंग ;
- स्पष्टीकरण: उसी कीमत तथा उसी समय, स्वामित्व में वास्तविक परिवर्तन किए बिना, संविदा की उसी मात्रा का क्रय तथा विक्रय करने के लिए कपटपूर्ण संव्यवहार
- (छ) अचानक उच्च व्यापारिक मात्रा तथा एक्सचेंज के सदस्य की आरंभिक स्थिति में अचानक वृद्धि का विश्लेषण ;
 - (ज) एक्सचेंज या समाशोधन निगम पर किसी सदस्य द्वारा लगातार व्यतिक्रम का विश्लेषण तथा उसके कारण ;
 - (झ) यह जांच करने के लिए संव्यवहारों का विश्लेषण कि आयोग द्वारा यथा अनुमोदित बाजार में तेजी लाने वाली पद्धति का अनुसरण पारेषण कारीडोरों में संकुलन की दशा में किया जा रहा है ।

59. एक्सचेंज, विद्युत व्यापारी तथा द्विपक्षीय/ओटीसी बाजार भागीदारों के लिए व्यापार रिपोर्टिंग अपेक्षा

- (i) सारी रिपोर्टिंग इलेक्ट्रानिक प्ररूप में होगी ;
- (ii) विद्युत व्यापारी के लिए, व्यापार रिपोर्ट, समय-समय पर, यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 के अनुसार विहित प्ररूप में होगी ;
- (iii) उप-विनियम (ii) में उल्लिखित विहित रिपोर्टों के अतिरिक्त, विद्युत अनुज्ञप्तिधारी आरंभिक स्थिति रिपोर्ट तथा सभी व्यापारों की अवधि और जोखिम मानीटरिंग प्रयोजन के लिए तिमाही आधार पर जोखिम सारांश रिपोर्ट प्रदान करेगा:

परंतु यह कि आयोग, आदेश द्वारा, समय-समय पर, प्ररूपों का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

- (iv) एक्सचेंज मासिक आधार पर अपने प्लेटफार्म पर कीमत, संव्यवहार मात्रा, विक्रेता तथा क्रेता के संबंध में जानकारी देगा:

परंतु यह कि आयोग, आदेश द्वारा, अन्य रिपोर्ट करने वाले ब्यौरों तथा तकनीकी, बाजार में नकदी के प्रकार, अस्थिरता तथा बाजार के अन्य मानदंडों पर निर्भर करते हुए फ्रिक्वेंसी रिपोर्टिंग का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

- (v) आगे के दिन के बाजार के लिए, पावर एक्सचेंज इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में अपने प्लेटफार्म पर सभी संव्यवहारों के मासिक ब्यौरे उपलब्ध कराएगा:

परंतु यह कि आयोग, आदेश द्वारा, समय-समय पर, प्ररूपों का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

- (vi) आगे की अवधि के बाजार के लिए, पावर एक्सचेंज बाजार विस्तार सीमा (एमडब्ल्यूएल), अपने सदस्यों की आरंभिक हित (ओआई), आरंभिक स्थिति सीमा की रिपोर्ट देगा। एमडब्ल्यूएल तथा ओआई को पावर एक्सचेंज की व्यापार प्रणाली तथा भागीदारों के इलैक्ट्रानिक व्यापार टर्मिनलों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I - बाजार विस्तार सीमा एक्सचेंज पर विनिर्दिष्ट संविदा के लिए बाजार के साथ-साथ सभी ग्राहकों का कुल आरंभिक हित है।

स्पष्टीकरण-II - आरंभिक हित अंडरलाइंग आस्ति पर आरंभिक संविदाओं की कुल संख्या है अर्थात्: ग्राहक या सदस्य की भावी संविदाओं या वैकल्पिक संविदाओं की संख्या जिसका परिदान द्वारा प्रयोग नहीं किया है, समाप्त नहीं किए गए हैं या जिन्हें पूरा नहीं किया गया है।

- (vii) सभी एक्सचेंज आयोग को तिमाही आधार पर विनियम 58 के उप-विनियम (v) में उल्लिखित रिपोर्ट का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।
- (viii) एक्सचेंज आयोग को यथा विहित अपने विश्लेषण के साथ, तथा जब कभी आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, सभी भागीदारों की बोलियां प्रस्तुत करेगा।
- (ix) अल्प-कालिक बाजार में 100 मेगावाट से अधिक अंतर-राज्यिक संव्यवहारों के लिए विक्रेताओं तथा क्रेताओं के बीच प्रत्यक्षतः किए गए ऊर्जा संव्यवहार की रिपोर्ट निष्पादन के 10 दिन के भीतर आयोग को दी जाएगी।

60. विसल ब्लोइंग नीति

- (i) बाजार भागीदार विधि के किसी अनैतिक क्रियाकलाप, अन्याय या अतिलंघन, जो उनकी जानकारी में आए, को आयोग को या तो पत्र द्वारा या ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट करने के हकदार होंगे।
- (ii) उपरोक्त जानकारी देने वाला व्यक्ति यह अनुरोध करने का हकदार होगा कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए तथा उसे प्रकट न किया जाए।
- (iii) आयोग किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना देने के लिए किसी प्रतिकार की दशा में कड़ी कार्रवाई करेगा।

61. आंतरिक व्यापार नीति

ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास उत्पादक कटौती, संयंत्र रखरखाव के संबंध में गैर-सार्वजनिक कीमत संवेदी जानकारी है, पावर एक्सचेंज तथा अन्य एक्सचेंज जब तक ऐसी जानकारी एलडीसी को प्रस्तुत न कर दी हो तब तक संव्यवहार नहीं करेगा ।

62. आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि व्यक्ति उपरोक्त किन्हीं भी उपबंध का अनुपालन करने में असफल हो गया है, किसी भी समय, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकेगा तथा ऐसे अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा की गई जांच को आयोग को देगा । विनियम 55 के उपबंध इस विनियम में विनिर्दिष्ट अन्वेषण को यथावत लागू होंगे ।

भाग - 8

प्रकीर्ण

63. आयोग की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति

- (i) इन विनियमों की कोई बात न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए या आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसे आदेश, जो आवश्यक समझे जाएं, करने की आयोग की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी ।
- (ii) इन विनियमों की कोई बात, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों को किन्हीं भी उपबंधों के फेरफार से हुई हो जिसमें प्रक्रिया सारांश भी है, को स्वीकार करने से आयोग को वर्जित नहीं करेगी यदि आयोग, मामले या मामले के वर्ग की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से इस प्रकार निपटने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।
- (iii) इन विनियमों की कोई बात आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले से निपटने या किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, करने से नहीं रोकेगी तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों से ऐसी रीति से निपटेगा जैसे वह आवश्यक समझे ।

64. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, आदेश द्वारा, अधिनियम के उपबंधों के असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

प्ररूप - ख-2

पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार किए गए विद्युत (घंटे-वार) की मात्रा तथा कीमत

पावर एक्सचेंज का नाम:

मास:

तारीख:

क्रम सं.	घंटे	क्रय बोलियां		विक्रय बोलियां		बाजार समाशोधन मात्रा (एमयू)	बाजार समाशोधन कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)
		बोलियों की मात्रा	मात्रा (एमयू)	बोलियों की मात्रा	मात्रा (एमयू)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

टिप्पणी: आंकड़ा पावर एक्सचेंज द्वारा मास के प्रत्येक दिन के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

प्ररूप ख-4

केविविआ को संकुलन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

पावर एक्सचेंज का नाम:

जानकारी फाइल करने की तारीख: दिन मास वर्ष वह अवधि जिसके लिए ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं

तारीख से दिन मास वर्ष

तारीख तक दिन मास वर्ष

[illegible]

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2010

No. L-1/13/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 66 read with Section 178(2) (y) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and paragraph 5.7.1 (f) of the National Electricity Policy, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

Part – 1**Preliminary****1. Short title and commencement**

- (i) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010.
- (ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions and Interpretation

- (i) In these regulations, unless the context otherwise requires—
 - (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) “Annual Turnover” means such turnover in Million Units of Electricity (MU) which is calculated considering the total number of units cleared in all types of transactions on a Power Exchange in a financial year.

For example- if a transaction of 10 MU is cleared, the turnover considered will be 10 MU only and not a cumulative addition of 10 MU as buy quantity and 10 MU as sell quantity of that transaction;

- (c) “Automated audit trail” means automated creation and maintenance of time-sequenced record of transactions (creation, modification or deletion) in the electronic trading system of Power Exchange for reference at later date/time;
- (d) “Board” means board of directors of a Power Exchange;
- (e) “Cartelization” means an act by market participants to form an association to control or attempt to control generation, distribution, sale or prices or transaction in electricity;

- (f) "Contract" means a contract for or relating to the purchase or sale of electricity or its related products;
- (g) "Clearing Corporation" means an organization which undertake clearing and financial settlement of all contracts transacted on an Exchange with which it is affiliated or any contracts transacted outside the Exchange in accordance with these regulations as amended from time to time;
- (h) "Clearing" means the process of determination of obligations of Members of Exchange resulting from conclusion of a transaction at an Exchange ;
- (i) "Client" means a person who executed an agreement with a Member of Power Exchange or Member of Clearing Corporation or Electricity Trader for dealing and /or clearing through such member or Electricity Trader ;
- (j) "Credit risk" means risk emanating in a contract due to change in financial condition of any of the contracting parties;
- (k) "Day ahead contract" means contracts where transaction occurs on day (T) and delivery of power is on the next day (T+1) and which are scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre;
- (l) "Derivative Contract " means an electricity contract transacted in the OTC markets or Exchanges and that derives its value from an underlying asset in electricity (e.g. day ahead electricity contract or other spot market contract or other reference index);
- (m) "Electricity Trader" shall have the meaning assigned to it under sub section (26) of section 2 of the Act;
- (n) "Exchange" means a Power Exchange and Other Exchanges ;
- (o) "Intraday Contract / Contingency Contract" means contracts where transaction occurs on day (T) after the closure of day ahead transaction window and the delivery of power is on the same day (T) or next day (T+1) and which are scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre ;
- (p) "Load Despatch Centre" (LDC) means the National Load Despatch Centre (NLDC) or Regional Load Despatch Centres (RLDC) or State Load Despatch Centres (SLDC) as the case may be ;
- (q) "Market" means a forum / platform where buyers and sellers directly or

- through Electricity Trader , or through electronic Exchanges (including a Power Exchange) buy or sell electricity or its related products ;
- (r) " Market Splitting" is a mechanism adopted by Power Exchange where the market is split in the event of transmission congestion, into pre-determined (by NLDC) bid areas or zones, which are cleared individually at their respective area prices such that the energy balance in every bid area is reached based upon the demand and supply in individual bid areas and using the available transmission corridor capacity between various bid areas simultaneously;
- (s) "Member of Power Exchange " means a person who has been admitted as such by a power Exchange in accordance with these regulations;
- (t) "Member of Clearing Corporation" means a person who has been admitted as such by the Clearing Corporation in accordance with these regulations;
- (u) "Member Service Charge" has the meaning assigned to it under Regulation 27;
- (v) "Networth" means aggregate value of the paid up equity capital and free reserves (excluding reserves created out of revaluation) reduced by the aggregate value of accumulated losses, deferred expenditure (including miscellaneous expenses) not written off and loans and advances to the associates;
- (w) "Open position" means a buy or sell position when a transaction has been executed but the delivery or financial settlement has not been completed and where a person may remain exposed to price or credit or operational risk;
- (x) "Operational risk" means any risk emanating in a contract due to systems, processes, technology error or breakdown ,non scheduling of power due to technical reasons ;
- (y) "Other Exchanges" means such exchanges other than Power Exchange within the meaning of Regulation 3(iii) where contracts specified under Regulation 4 are transacted;
- (z) "Over The Counter (OTC)" shall have the meaning assigned to it as under Clause (i) of Regulation 3;

- (aa) "Position" means the financial and physical condition arising as a result of a buy or a sell action of a participant of the Exchange or OTC market;
 - (bb) "Price risk" means any risk emanating in a contract due to change in price of the contract / asset during tenure of the contract;
 - (cc) "Power Exchange" means the exchange registered under these regulations;
 - (dd) "Reserves" means any part of shareholders' equity, except for basic share capital;
 - (ee) "Safe Liquid Investment" means investments in liquid assets comprising of cash in hand, cash equivalents (Cash equivalents are short term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value) and demand deposits with banks;
 - (ff) "Settlement Guarantee Fund (SGF)" means a fund maintained by the Power Exchange or Clearing Corporation used for settlement of defaults of its members as prescribed in the default remedy mechanism of Power Exchange or Clearing Corporation and may comprise of any sources of funds as may be determined by the Power Exchange or Clearing Corporation with prior approval of the Commission from time to time;
 - (gg) "Settlement" means the process of discharging the obligations of members resulting from conclusion of a transaction at an Exchange ;
 - (hh) Short term market means a market with contracts for a period not exceeding one year;
 - (ii) "Spot Market" means a market where physical delivery of electricity occurs either on the same day as the date of the transaction (T) or on the next day (T+ 1);
 - (jj) "Term Ahead market" means a market where physical delivery of electricity occurs on a date more than one day (T + 2 or more) ahead from the date of transaction (T) and the contracts in such market can be transacted weekly / monthly / yearly or more in advance and have a defined delivery period on expiry of contract and is scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre;
- (ii) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not

defined, but defined in the Act or other regulations made thereunder by the Commission shall have the meaning assigned to them in the Act or other regulations made by the Commission.

Part – 2

Scope of Regulation and Extent of Application

3. These regulations shall apply to OTC markets and Exchange markets dealing in electricity, and where —

(i) Over the Counter Market – Over the Counter Market is the inter-State market where buyers and sellers directly transact or transact through an Electricity Trader, and where the price and terms of the contract are determined through negotiations as agreed between the parties or through competitive bidding process or through a Electricity Trader. The risk in contracts executed in such markets is managed between the parties themselves or by the Electricity Trader, as the case may be.

(ii) Power Exchange Market – Power Exchange Market is a market where buyers, sellers, Electricity Traders, Members of Power Exchange transact on standardised contracts and where the Power Exchange or Clearing Corporation is counterparty to such contracts and further, scheduling is done by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre unless actual delivery is dispensed with.

(iii) Other Exchange Market – Other Exchange is a market where derivative contracts, contracts for electricity or its related products are transacted on standardised contract specifications and where the Exchange or Clearing Corporation is counterparty to such contracts.

4. These regulations shall apply to the following types of contracts :-

(i) Delivery based Short Term contracts in OTC market -

(a) OTC Contracts directly between buyers and sellers -The interstate transactions in which buyers and sellers enter into a contract and decide price and other terms of the contract either through negotiation or based on competitive bidding processes.

(b) OTC Contracts through Electricity Traders -

I. Back to back deals -The interstate transaction in which an Electricity Trader buys a specific quantity of power for a particular duration from one party and simultaneously sells it to another party on same terms

and conditions. Such transaction does not expose the trader to any price risk. It may expose the trader to credit risk and operational risk.

- II. Deals with Open position – The interstate transaction in which a Electricity Trader takes a position in a power purchase or sale contract based on price and other factors in view and adopts a strategy which he deems fit

Illustration: Electricity Trader A buys power for a long term period at a contracted price and sells power to buyers B, C, D in tranches over a period of time at different prices.

- III. Contract to aggregate suppliers / buyers and sell / buy to a one or more buyers / sellers
- (ii) Financially settled electricity derivatives contracts transacted in OTC market – It is a contract which derives its value from an underlying asset (e.g. day ahead electricity contract or other spot market contract or other reference index). The contract price is fixed at the time of transaction. The final financial settlement price is based on the spot price of the underlying asset or any other predefined reference index as agreed between the parties at the expiry of contract. These contracts can be Derivative Contracts, swap and other structured contracts etc.
- (iii) Delivery based contracts transacted on Exchange
- (a) Intraday contract /Contingency contract
- (b) Day Ahead contract
- (c) Term Ahead contract
- (iv) Financially settled electricity derivative contracts transacted on Exchange - It is a contract which derives its value from an underlying asset (e.g. day ahead electricity contract or other spot market contract or other reference index). The contract price is fixed at the time of transaction. The final financial settlement price is based on the spot price of the underlying asset at the expiry of contract. These contracts can be futures contract and other standardised contracts etc.

- (v) Any new contracts linked with electricity generated from renewable sources, e.g. Renewable Energy Certificates (REC), etc. transacted on Power Exchange.
- (vi) Any new contract in areas related to capacity , power price indices, and other areas related to electricity ;
- (vii) Capacity Contracts -These are contracts where the capacity of a generating station is booked in advance and consideration is paid by the buyer with the right to require the generator to despatch electricity as and when required by such buyer at any time during the tenure of the contract. These can be transacted both on OTC markets and /or on Exchanges .
- (viii) Ancillary Services Contracts – These contracts are for ancillary services. Ancillary Services in power system (or grid) operation are support services necessary to support the power system (or grid) operation for maintaining power quality, reliability and security of the grid, e.g. active power support for load following, reactive power support, black start, etc.

5. These regulations shall apply to all market participants including -

- (i) Grid connected entity(ies) such as but not limited to Generating companies, Distribution Licensees, consumers who have been granted open access.
- (ii) Electricity Traders;
- (iii) Power Exchanges and Clearing Corporations approved by the Commission;
- (iv) Members of Power Exchanges;
- (v) Members of Clearing Corporation;
- (vi) Other Exchanges and
- (vii) Any other transacting party

Part - 3**Approval / Suspension of the Contracts by the Commission**

6. The Commission may, on an application made in this behalf, permit any Exchange to introduce such contracts as specified in Part 2 of these Regulations for transacting on the Exchange

Provided that the requirement to seek permission shall not apply to such contracts which are transacted on a Power Exchange on the date of notification of these Regulations with the approval of the Commission.

Provided further that an Electricity Trader is not required to obtain any approval under these regulations but shall submit information as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Condition of grant of Trading License and other related matters) Regulations, 2009 and comply with the trade reporting requirement as specified in Regulation 59 (iii) hereof.

7. (1) An Exchange seeking permission under Regulation 6 shall submit to the Commission the complete and detailed contract specifications.

(2) The Commission may, prior to granting such authorisation to Exchanges as specified in Regulation 6, examine the following and such other parameters of such contracts as considered appropriate having particular regard to the following :-

- (i) Type of contract (day ahead, term ahead etc),
 - (ii) Price Discovery methodology and matching rules proposed;
 - (iii) Transaction period – When transaction shall commence and for what tenure transaction session shall continue before delivery commences;
 - (iv) Risk Management mechanism
 - (a) Margining mechanism
 - (b) Final Price Settlement mechanism
 - (v) (a) Delivery mechanism
-

(b) Delivery Duration – Delivery is for intraday, daily, week, month, particular season or year

(vi) Penalty for Contractual Deviation (for Term Ahead Market)

Contractual Deviation is the difference between the energy corresponding to contracted power and actual scheduled energy by the seller / buyer at point of injection respectively.

Provided that during approval of any new type of contract, the complete contract specification shall be submitted to the Commission for approval. Thereafter modification in the specifications other than the above mentioned parameters can be done by the Exchange itself with intimation to the Commission within seven days of effecting the said modifications.

8. Notwithstanding anything contrary contained in these Regulations, no person shall enter into or transact in any of the following types of contracts unless the same has been permitted to be so launched or introduced by the Commission in terms of notification issued in this behalf -

- (i) Derivatives Contracts;
- (ii) Ancillary Services Contracts
- (iii) Capacity Contracts

Provided that the Commission shall, permit such contracts in the market from a date to be notified in this behalf, for ensuring reasonable prices of electricity and having regard to liquidity and volatility in the market, demand supply situation and other relevant factors.

9. If the Commission is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may after granting the concerned person the opportunity of being heard, by order, suspend transactions on any contract for the period specified in the order or withdraw any contract from the market or the Exchange, as the case may be.

Part – 4**Principles of Market and Market Design**

10. A Power Exchange shall function with the following objectives:-

- (i) Ensure fair, neutral, efficient and robust price discovery
- (ii) Provide extensive and quick price dissemination
- (iii) Design standardised contracts and work towards increasing liquidity in such contracts

Explanation: Liquidity is a measure of ease of entering or exiting into a transaction (generally large transaction) with minimal impact in the market price of the transacted contract.

11. A Power Exchange shall adopt the following market design in case of day ahead markets:-

A. Price Discovery

- (i) The economic principle of social welfare maximisation and to create buyer and seller surplus simultaneously during price discovery.
- (ii) The bidding mechanism shall be double sided closed bid auction on a day ahead basis.
- (iii) The price discovered for the unconstrained market shall be a uniform market clearing price for all buyers and sellers who are cleared
- (iv) In case of congestion in transmission corridor, market splitting mechanism shall be adopted.
- (v) The delivery / drawl of power shall be considered at the regional periphery.

B. Delivery Procedure

- (i) Participants in Power Exchange shall take "Concurrence ,Prior Standing Clearance, or No objection" from their respective State Load Despatch Centres if applicable before participating in the Power Exchange
 - (ii) Transmission charges and transmission losses shall be handled as per Procedure for scheduling (Open access) of Collective
-

Transactions issued in accordance with CERC (Open access in Inter State Transmission) Regulations, 2008 and as amended from time to time.

- (iii) Contracts in day ahead market are necessarily for physical delivery and shall be binding on the participant executing the transaction
- (iv) The scheduling and delivery of contracts on Power Exchange shall be in coordination with the system operator and in accordance with CERC (Open access in Inter State Transmission) Regulations, 2008 as amended from time to time, Indian Electricity Grid Code as amended from time to time. The operational details shall be as per the Procedure for scheduling (Open access) of Collective Transactions issued in accordance with CERC (Open access in Inter State Transmission) Regulations, 2008 and as amended from time to time.
- (v) The allotment of transmission corridor to Power Exchanges shall be done by National Load Despatch Centre as per directions of the Commission.

12. OTC Markets – The following principles of transaction shall be observed:

- (i) OTC market shall provide customized solution to sector participants and endeavour to bring innovation in the market place.
- (ii) Contracts to be sold to client shall be based on the suitability, appropriateness and full material disclosure of contract pricing, its risks and implications to the parties entering into the contract.

13. The Physical Market Design should complement security and reliability of power system and under no circumstances should market mechanisms compromise grid security.

Part – 5**Power Exchange**

- 14.** No Power Exchange shall operate without obtaining registration under these regulations.

Provided that the Power Exchanges which have been granted approval / in-principle approval by the Commission on or prior to the date of notification of these regulations shall be deemed to be registered under these regulations subject to payment of annual registration charge.

Provided further that the Power Exchanges in operation shall realign their Bye-laws, Rules and Business Rules to make the same in conformance with these regulations and shall submit the same for approval of the Commission within three months from the date of notification of these regulations.

Provided also that the existing approved Bye-laws, Rules and the Business Rules shall remain in force till the Commission gives approval to revised Bye-laws, Rules and Business Rules.

Provided further that anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the existing approved Bye-laws, Rules and the Business Rules shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these Regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

- 15.** The eligibility criteria for making application for registration of Power Exchange shall be as follows:

- (i) (a) Any company limited by shares incorporated as a public company within the meaning of the Companies Act, 1956;
 - (b) A consortium of companies having an agreement amongst themselves to set up a power exchange through a special purpose vehicle ("SPV") incorporated as a public company limited by shares within the meaning of the Companies Act, 1956;
-

Provided that the process for registration may be commenced incase a consortium applies for registration by submitting a copy of such an agreement entered into amongst the consortium members, but registration shall be granted only when consortium has incorporated the SPV as aforesaid.

- (ii) The main objects of the applicant company shall be to primarily set up and operate Power Exchange though the other and incidental objects may be to undertake other businesses related to energy sector and its ancillaries with the prior approval of the Commission.

Provided that such a company shall maintain separate accounts for separate businesses.

16. Procedure for filing Application

- (i) Application for grant of registration to establish and operate a Power Exchange shall be filed in the form of a petition to the Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 and as amended from time to time.
- (ii) The salient details of the applicant, proposed transaction platform and website address where the full application is accessible shall be published in all editions of at least two national daily newspapers including one economic daily newspaper within 7 days of filing of the application inviting public comments/objections, if any, upto a period of 30 days.
- (iii) The application as filed and the information as sought by the Commission shall be posted and kept on the web site of the applicant at least for a minimum period of 30 days from the date of publication of notice in newspapers.
- (iv) The applicant shall file before the Commission its reply to the objections or suggestions received in response to the public notice within 45 days of its publication in the newspaper.
-

- (v) The Commission after consideration of the objections or suggestions received in response to the notice published by the applicant and his reply may propose to grant registration to the applicant.
- (vi) When the Commission proposes to grant registration, it shall publish a notice of its proposal in two daily newspapers, as the Commission may consider appropriate, stating the name and address of the person to whom it proposes to grant the registration with such other details as the Commission considers appropriate, to invite further objections or suggestions to its proposal.
- (vii) On consideration of further objections or suggestions received and the reply of the applicant thereto, if any, the Commission may grant registration or reject the application, for reasons to be recorded in writing if the application does not conform to the provisions of the Act or the regulations thereunder

Provided that no application shall be rejected, unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

17. Applicants seeking registration to set up and operate a Power Exchange shall submit the following documents along with the application, to the Commission:

- (i) Memorandum and Articles of Association of the company making the application;
 - (ii) In case of a consortium of companies, a formal agreement amongst the members of the consortium to set up a Power Exchange shall be submitted;
 - (iii) Details of the existing business of the consortium members;
 - (iv) Copies of the Annual Report and/or audited accounts of the applicant for the last three years, to the extent applicable;
 - (v) A Project Report containing the following details:
 - (a) Constitution of the proposed Power Exchange;
 - (b) Funding sources of the proposed Power Exchange;
 - (c) Management and Administrative structure of the proposed Power Exchange;
-

(d) Infrastructural facilities available/proposed to be acquired by the Power Exchange;

(vi) The draft rules of the proposed power Exchange relating in general to the constitution of the proposed Power Exchange and in particular, that relating to:

I. The board of directors of the Power Exchange, its constitution and powers;

II. Management of the Power Exchange and the manner in which its business is to be transacted;

(vii) The draft bye laws of the proposed Power Exchange covering the aspects specified in Regulation 24 hereof.

18. Prudential Norms for establishment of Power Exchange

(i) A Power Exchange shall always have a minimum network of Rs. 25 Crore

Provided that the Power Exchange shall always maintain the above network and in case the same depletes due to payment made by the power Exchange to sellers / buyers in default including by the usage of the SGF impacting its network, the Power Exchange shall increase its network to comply with the above network criteria within 3 months from the date of depletion.

Provided that if and when a Power Exchange separates its clearing function to a Clearing Corporation, it shall be required to have a minimum network of Rs. 5 Crore.

Provided further that the Commission may, by general order, review the network criteria from time to time.

(ii) For an applicant the network to be considered shall be minimum in three years immediately preceding the year in which the application is made or such lesser period during which the applicant may have been incorporated, registered or formed and on the date of special balance sheet accompanying the application for grant of registration

(iii) The Networth of a Power Exchange in operation shall be as per the last audited balance sheet.

(iv) Settlement Guarantee Fund (SGF)

(a) The Power Exchange or Clearing Corporation shall invest the proceeds of SGF in safe investments and ensure that the principal amount is not at risk. Fifty percent (50 %) of the SGF proceeds shall be kept in safe liquid investments.

(b) The SGF investment returns shall be retained by the Power Exchange till the Settlement Guarantee Fund is maintained by the Power Exchange. In case of hiving off of the Clearing Corporation, the SGF investment returns shall be retained by the Clearing Corporation.

(c) The principles and methods of usage of the SGF shall be clearly communicated to the members and clients of Power Exchange through the bye laws of the Power Exchange.

(d) Details of investment of SGF shall be submitted to the Commission on an annual basis while submitting the Power Exchange's annual report or the Clearing Corporations annual report as the case may be

(e) Additional Prudential Norms, SGF requirements for Power Exchanges and Clearing Corporations as required for financial derivative contracts on Power Exchanges may be notified by the Commission by order and once these are notified, the same shall be complied with in terms thereof.

19. Shareholding Pattern of Power Exchange

(1) The shareholding pattern for equity holders in the Power Exchange shall be as follows:

(i) Any shareholder other than a Member of the Power Exchange can have a maximum (whether directly or indirectly) of 25% shareholding in the Power Exchange.

(ii) A Member of the Power Exchange can have a maximum (whether directly or indirectly) of 5 % shareholding in the Power Exchange.

- (iii) In total, a Power Exchange can have a maximum of 49% of its total shareholding owned by entities (whether directly or indirectly) which are Members of the Power Exchange.

Explanation I – “indirectly” means through an associate where an associate is –

(i) one who owns or controls shares carrying not less than twenty-six percent of the voting rights of the shareholder intending to hold equity in the power exchange; or

(ii) in respect of whom the shareholder intending to hold equity in the Power Exchange owns or controls shares carrying not less than twenty-six percent of the voting rights; or

(iii) one who is under the same management as the shareholder intending to hold equity in the power exchange.

Explanation II: An associate shall be deemed to be under the same management:

(i) if the managing director or manager of the shareholder intending to hold equity in the power exchange is the managing director or manager of the associate; or

(ii) if a majority of the directors of the shareholder intending to hold equity in the power exchange constitute or any time within six months immediately preceding, constituted a majority of the directors of the associate; or

(iii) if not less than one third of the total voting power with respect to any matter relating to the shareholder intending to hold equity in the power exchange and the associate is exercised or controlled by the same individual or body corporate; or

(iv) if any of the directors of the shareholder intending to hold equity in the power exchange while holding the majority of shares of such shareholder also holds the majority of shares in the associate.

(2) The share holding pattern shall be reported to the Commission from time to time

20. Notwithstanding Regulation 19, the Power Exchanges granted approval or in principle approval prior to the date of notification of these regulations, shall within a period not exceeding three years from the date of notification of these regulations, ensure the shareholding structure/pattern as specified in Regulation 19.

21. Grant of Registration to Power Exchange

- (i) The Commission may, after making such inquiries as may be necessary in this regard and after obtaining such further information as it may require, grant registration subject to such conditions as deemed fit, for setting up and operation of a Power Exchange,
- (ii) The registration of a power exchange shall continue to be in force for a period of twenty five (25) years from the date of commencement of operations unless such registration is revoked or cancelled.
- (iii) Notwithstanding clause (ii) above, the Commission may, on an application filed in this behalf, renew the registration for a like period of 25 years

Provided that an application for renewal may be filed at the most 5 years before the expiry of the initial registration.

22. Ownership and Governance structure of Power Exchange

- (i) There shall be a clear demarcation between ownership, management / operations and participation in trading.
 - (ii) Independent Directors – At least one third of the members of the Board or a minimum of two directors, whichever is higher, shall be independent directors selected from a panel constituted by the Power Exchange and approved by the Commission out of which one person will have professional qualification and experience in finance. The panel shall be constituted of persons of repute and integrity from academics, professionals, industry representatives, public figures none of whom should have any interest in any Member of Power Exchange and any fiduciary relationship with any shareholder of Power Exchange.
-

- (iii) The total strength of the Board shall be in accordance with the provisions of the Companies Act 1956.
- (iv) Not more than one fourth of the Board of directors shall represent Members of Power Exchange.
- (v) The Board shall appoint a CEO cum Managing Director who shall be solely responsible for running the day to day operations of the Power Exchange. The Managing Director shall be a professional with adequate qualification and at least 10 years of experience in the relevant field.
- (vi) The Managing Director, the Chief Executive or the Director in charge of day-to-day operations or any employee, of the power Exchange shall not be directly or indirectly associated with any Member of the Power Exchange or client or participant of the Power Exchange or with a holding or subsidiary company thereof.
- (vii) Services of any consultant or advisor can be availed of by Power Exchange as long as he is not dealing with price sensitive information of the Power Exchange and there is no conflict of interest between assignments undertaken for other persons served by the consultant or advisor and the Power Exchange
- (viii) The Managing Director shall ensure that the individual bids of members of the Power Exchange is not shared with the board of directors.
- (ix) The Power Exchanges which has been granted approval or in principle approval by the Commission on or prior to the date of notification of these regulations, shall within a period not exceeding one year from the date of notification of these regulations , ensure that the governance structure as specified in this Regulation 22 is adhered to and complied with

23. Registration Charge

A Power Exchange shall pay an annual registration charge as specified below:-

Annual Turnover in Power Exchange (Million Units)	Annual Registration Charge (Rs Lac)
Above 10,000	30
Upto 10,000	15
Upto 5,000	5

The Annual registration charge shall be payable through a Bank Draft or Pay Order or by electronic transfer of money in favour of "Assistant Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi", by 30th April every year

Provided further that the Commission may, by order, review the quantum of the annual registration charge from time to time.

Provided also that the Power Exchange would declare apriori the category it envisages to be in. In case of any difference between declarations and actual at the end of financial year, the annual registration charge shall be accordingly adjusted.

24. The Power Exchange shall function according to its Byelaws and Rules as approved by the Commission, which amongst other requirements would cover the following:

- (a) Price Discovery and matching mechanism;
- (b) Rights and liabilities of its members;
- (c) Market surveillance and investigation;
- (d) Clearing and settlement procedure;
- (e) Risk management;
- (f) Default and Penalty mechanism;
- (g) Penalty for contractual deviations;
- (h) Transaction charge and the mechanism of its determination;

- (i) Brokerage and Commission Charges of its members;
- (j) Maintenance of records and accounts;
- (k) Preparation of annual accounts and audit thereof;
- (l) Arbitration, dispute resolution and conciliation;
- (m) Mechanism for redressal of grievances;
- (n) Opening and closing of transaction hours, transaction and settlement calendar;
- (o) Procedure from opening of the platform up to its scheduling by LDC;
- (p) Procedure for handling a default, i.e., failure to schedule the transaction finalized;
- (q) Details of market splitting methodology for handling transmission congestion; this shall be elucidated with examples Inter-face design with system operator/Regional Load Dispatch Centres;
- (r) The details of the Exit Scheme;
- (s) Qualifications for membership, exclusion, suspension and expulsion;
- (t) Indemnification of Central Transmission Utility, National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres, State Load Despatch Centres by the Power Exchange.

Provided that Byelaws and Rules may be amended subject to obtaining prior approval of the Commission.

25. Management of Power Exchange

- (i) The senior management of the Power Exchange shall comprise of at least two full-time proficient professionals having, qualifications and experience and expertise in the following areas –
-

Discipline	Qualification and Experience
Power system operations	Degree in Engineering with at least 10 years experience in the field
Finance, commerce and accounts	CA/ICWA/MBA(in Finance) with at least 10 years experience in the field

- (ii) The Power Exchange shall constitute a Risk Management Committee (RMC) headed by an independent director of the board which shall stipulate risk containment measures and monitor adherence of the same.
- (iii) The Power Exchange shall constitute a Market Surveillance committee headed by an independent director of the board and having members from the executive team of the Power Exchange. No member of this committee shall be a Member of the Power Exchange.
- (iv) The Power Exchange shall constitute a SGF management committee with adequate representation from the Members of the Power Exchange. This committee shall be responsible for overseeing the management of SGF.

26. Membership in Power Exchange

- (i) Membership in Power Exchange shall be of the following three categories :-
 - (a) Member who is an Electricity Trader or
 - (b) Member who is a distribution licensee including deemed distribution licensee or a grid connected entity or
 - (c) Member who is neither an Electricity Trader nor distribution licensee including deemed distribution licensee nor a grid connected entity
- (ii) Member who is neither an Electricity Trader nor distribution licensee including deemed distribution licensee nor a grid connected entity can only provide the following services to its clients:-
 - (a) IT infrastructure for bidding on electronic Exchange platform or skilled personnel
 - (b) Advisory services related to power prices and the follow on bidding strategy (e.g. weather related information, demand supply position etc)

(d) Infrastructural facilities available/proposed to be acquired by the Power Exchange;

(vi) The draft rules of the proposed power Exchange relating in general to the constitution of the proposed Power Exchange and in particular, that relating to:

- I. The board of directors of the Power Exchange, its constitution and powers;
- II. Management of the Power Exchange and the manner in which its business is to be transacted;

(vii) The draft bye laws of the proposed Power Exchange covering the aspects specified in Regulation 24 hereof.

18. Prudential Norms for establishment of Power Exchange

(i) A Power Exchange shall always have a minimum network of Rs. 25 Crore

Provided that the Power Exchange shall always maintain the above network and in case the same depletes due to payment made by the power Exchange to sellers / buyers in default including by the usage of the SGF impacting its network, the Power Exchange shall increase its network to comply with the above network criteria within 3 months from the date of depletion.

Provided that if and when a Power Exchange separates its clearing function to a Clearing Corporation, it shall be required to have a minimum network of Rs. 5 Crore.

Provided further that the Commission may, by general order, review the network criteria from time to time.

(ii) For an applicant the network to be considered shall be minimum in three years immediately preceding the year in which the application is made or such lesser period during which the applicant may have been incorporated, registered or formed and on the date of special balance sheet accompanying the application for grant of registration

(iii) The Networth of a Power Exchange in operation shall be as per the last audited balance sheet.

(iv) Settlement Guarantee Fund (SGF)

(a) The Power Exchange or Clearing Corporation shall invest the proceeds of SGF in safe investments and ensure that the principal amount is not at risk. Fifty percent (50 %) of the SGF proceeds shall be kept in safe liquid investments.

(b) The SGF investment returns shall be retained by the Power Exchange till the Settlement Guarantee Fund is maintained by the Power Exchange. In case of hiving off of the Clearing Corporation, the SGF investment returns shall be retained by the Clearing Corporation.

(c) The principles and methods of usage of the SGF shall be clearly communicated to the members and clients of Power Exchange through the bye laws of the Power Exchange.

(d) Details of investment of SGF shall be submitted to the Commission on an annual basis while submitting the Power Exchange's annual report or the Clearing Corporations annual report as the case may be

(e) Additional Prudential Norms, SGF requirements for Power Exchanges and Clearing Corporations as required for financial derivative contracts on Power Exchanges may be notified by the Commission by order and once these are notified, the same shall be complied with in terms thereof.

19. Shareholding Pattern of Power Exchange

(1) The shareholding pattern for equity holders in the Power Exchange shall be as follows:

(i) Any shareholder other than a Member of the Power Exchange can have a maximum (whether directly or indirectly) of 25% shareholding in the Power Exchange.

(ii) A Member of the Power Exchange can have a maximum (whether directly or indirectly) of 5 % shareholding in the Power Exchange.

- (iii) In total, a Power Exchange can have a maximum of 49% of its total shareholding owned by entities (whether directly or indirectly) which are Members of the Power Exchange.

Explanation I – “indirectly” means through an associate where an associate is –

- (i) one who owns or controls shares carrying not less than twenty-six percent of the voting rights of the shareholder intending to hold equity in the power exchange; or*
- (ii) in respect of whom the shareholder intending to hold equity in the Power Exchange owns or controls shares carrying not less than twenty-six percent of the voting rights; or*
- (iii) one who is under the same management as the shareholder intending to hold equity in the power exchange.*

Explanation II: An associate shall be deemed to be under the same management:

- (i) if the managing director or manager of the shareholder intending to hold equity in the power exchange is the managing director or manager of the associate; or*
 - (ii) if a majority of the directors of the shareholder intending to hold equity in the power exchange constitute or any time within six months immediately preceding, constituted a majority of the directors of the associate; or*
 - (iii) if not less than one third of the total voting power with respect to any matter relating to the shareholder intending to hold equity in the power exchange and the associate is exercised or controlled by the same individual or body corporate; or*
 - (iv) if any of the directors of the shareholder intending to hold equity in the power exchange while holding the majority of shares of such shareholder also holds the majority of shares in the associate.*
-

(2) The share holding pattern shall be reported to the Commission from time to time

20. Notwithstanding Regulation 19, the Power Exchanges granted approval or in principle approval prior to the date of notification of these regulations, shall within a period not exceeding three years from the date of notification of these regulations, ensure the shareholding structure/pattern as specified in Regulation 19.

21. Grant of Registration to Power Exchange

- (i) The Commission may, after making such inquiries as may be necessary in this regard and after obtaining such further information as it may require, grant registration subject to such conditions as deemed fit, for setting up and operation of a Power Exchange,
- (ii) The registration of a power exchange shall continue to be in force for a period of twenty five (25) years from the date of commencement of operations unless such registration is revoked or cancelled.
- (iii) Notwithstanding clause (ii) above, the Commission may, on an application filed in this behalf, renew the registration for a like period of 25 years

Provided that an application for renewal may be filed at the most 5 years before the expiry of the initial registration.

22. Ownership and Governance structure of Power Exchange

- (i) There shall be a clear demarcation between ownership, management / operations and participation in trading.
 - (ii) Independent Directors – At least one third of the members of the Board or a minimum of two directors, whichever is higher, shall be independent directors selected from a panel constituted by the Power Exchange and approved by the Commission out of which one person will have professional qualification and experience in finance. The panel shall be constituted of persons of repute and integrity from academics, professionals, industry representatives, public figures none of whom should have any interest in any Member of Power Exchange and any fiduciary relationship with any shareholder of Power Exchange.
-

- (iii) The total strength of the Board shall be in accordance with the provisions of the Companies Act 1956.
- (iv) Not more than one fourth of the Board of directors shall represent Members of Power Exchange.
- (v) The Board shall appoint a CEO cum Managing Director who shall be solely responsible for running the day to day operations of the Power Exchange. The Managing Director shall be a professional with adequate qualification and at least 10 years of experience in the relevant field.
- (vi) The Managing Director, the Chief Executive or the Director in charge of day-to-day operations or any employee, of the power Exchange shall not be directly or indirectly associated with any Member of the Power Exchange or client or participant of the Power Exchange or with a holding or subsidiary company thereof.
- (vii) Services of any consultant or advisor can be availed of by Power Exchange as long as he is not dealing with price sensitive information of the Power Exchange and there is no conflict of interest between assignments undertaken for other persons served by the consultant or advisor and the Power Exchange
- (viii) The Managing Director shall ensure that the individual bids of members of the Power Exchange is not shared with the board of directors.
- (ix) The Power Exchanges which has been granted approval or in principle approval by the Commission on or prior to the date of notification of these regulations, shall within a period not exceeding one year from the date of notification of these regulations , ensure that the governance structure as specified in this Regulation 22 is adhered to and complied with

23. Registration Charge

A Power Exchange shall pay an annual registration charge as specified below:-

Annual Turnover in Power Exchange (Million Units)	Annual Registration Charge (Rs Lac)
Above 10,000	30
Upto 10,000	15
Upto 5,000	5

The Annual registration charge shall be payable through a Bank Draft or Pay Order or by electronic transfer of money in favour of "Assistant Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi", by 30th April every year

Provided further that the Commission may, by order, review the quantum of the annual registration charge from time to time.

Provided also that the Power Exchange would declare apriori the category it envisages to be in. In case of any difference between declarations and actual at the end of financial year, the annual registration charge shall be accordingly adjusted.

24. The Power Exchange shall function according to its Byelaws and Rules as approved by the Commission, which amongst other requirements would cover the following:

- (a) Price Discovery and matching mechanism;
- (b) Rights and liabilities of its members;
- (c) Market surveillance and investigation;
- (d) Clearing and settlement procedure;
- (e) Risk management;
- (f) Default and Penalty mechanism;
- (g) Penalty for contractual deviations;
- (h) Transaction charge and the mechanism of its determination;

- (i) Brokerage and Commission Charges of its members;
- (j) Maintenance of records and accounts;
- (k) Preparation of annual accounts and audit thereof;
- (l) Arbitration, dispute resolution and conciliation;
- (m) Mechanism for redressal of grievances;
- (n) Opening and closing of transaction hours, transaction and settlement calendar;
- (o) Procedure from opening of the platform up to its scheduling by LDC;
- (p) Procedure for handling a default, i.e., failure to schedule the transaction finalized;
- (q) Details of market splitting methodology for handling transmission congestion; this shall be elucidated with examples. Inter-face design with system operator/Regional Load Dispatch Centres;
- (r) The details of the Exit Scheme;
- (s) Qualifications for membership, exclusion, suspension and expulsion
- (t) Indemnification of Central Transmission Utility, National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres, State Load Despatch Centres by the Power Exchange.

Provided that Byelaws and Rules may be amended subject to obtaining prior approval of the Commission.

25. Management of Power Exchange

- (i) The senior management of the Power Exchange shall comprise of at least two full-time proficient professionals having, qualifications and experience and expertise in the following areas –
-

Discipline	Qualification and Experience
Power system operations	Degree in Engineering with at least 10 years experience in the field
Finance, commerce and accounts	CA/ICWA/MBA(in Finance) with at least 10 years experience in the field

- (ii) The Power Exchange shall constitute a Risk Management Committee (RMC) headed by an independent director of the board which shall stipulate risk containment measures and monitor adherence of the same.
- (iii) The Power Exchange shall constitute a Market Surveillance committee headed by an independent director of the board and having members from the executive team of the Power Exchange. No member of this committee shall be a Member of the Power Exchange.
- (iv) The Power Exchange shall constitute a SGF management committee with adequate representation from the Members of the Power Exchange. This committee shall be responsible for overseeing the management of SGF.

26. Membership in Power Exchange

- (i) Membership in Power Exchange shall be of the following three categories :-
 - (a) Member who is an Electricity Trader or
 - (b) Member who is a distribution licensee including deemed distribution licensee or a grid connected entity or
 - (c) Member who is neither an Electricity Trader nor distribution licensee including deemed distribution licensee nor a grid connected entity
- (ii) Member who is neither an Electricity Trader nor distribution licensee including deemed distribution licensee nor a grid connected entity can only provide the following services to its clients:-
 - (a) IT infrastructure for bidding on electronic Exchange platform or skilled personnel
 - (b) Advisory services related to power prices and the follow on bidding strategy (e.g. weather related information, demand supply position etc)

- (c) Facilitation of procedures on behalf of his client for delivery of power (e.g. State Load Despatch Centre standing clearances, coordination with National Load Despatch Centre etc)

In no case, such a member shall provide any credit or financing or working capital facility to their clients.

- (iii) Member who is an Electricity Trader shall trade and clear on their own account or trade and clear on behalf of their clients. This category of members may provide any credit or financing or working capital facility to their clients.
- (iv) Member who is distribution licensee including deemed distribution licensee or grid connected entities shall transact and clear their own account only
- (v) The Power Exchange shall submit to the Commission detailed list of its members along with their clients every month as per the format appended to these Regulations.

Provided that the Commission may, by order, review the format from time to time.

- (vi) In case of any discrepancies found in the transactions of members or contravention of these Regulations the Commission may, after giving the member of the Power Exchange an opportunity of being heard in the matter, direct, the Power Exchange to revoke the membership of such member. Any such direction will be without prejudice to action against the Power Exchange under these Regulations.
- (vii) The Commission may direct Power Exchanges to introduce qualification test for personnel handling electronic trading terminals and trading in electricity.
- (viii) A Power Exchange may, at its discretion, stipulate any criteria for membership to the Power Exchange including networth, minimum base capital / security deposit requirement, liquid asset requirement.
- (ix) The Power Exchange shall maintain supporting documents provided by the member for obtaining membership including the documents evidencing compliance with any criteria specified by the Power Exchange and furnish it to the Commission on being required to do so. These documents shall be maintained upto a period of five years after the member has surrendered membership or ceases to be a member of the Power Exchange.

- (x) The Commission may by order, notify any additional membership criteria for transacting in derivatives contracts.

27. Member Service Charge for providing services to their clients in day ahead and term ahead markets in Power Exchange shall not be more than 0.75% of transaction value. This ceiling would be an overall ceiling including the service charges of any subordinate service providers.

Provided that Member Service charge to their clients in day ahead and term ahead market in Power Exchange for Electricity Traders who are members of Power Exchange shall be the trading margin only as per CERC (Fixation of trading margin) Regulations 2006 and as amended from time to time.

Provided further that the Commission may, by order, review the members service charge criteria from time to time.

Provided also that the Commission may, by order, notify the member service charges separately for derivative contracts.

Provided also that member service charge shall not include any charges levied by Power Exchange, transmission (open access) charges, other charges payable to National Load Despatch Centre / Regional Load Despatch Centre / State Load despatch Centre, statutory taxes etc.

28. Risk Management by Power Exchange

- (i) The Power Exchange shall adopt best practices while formulating prudent and dynamic risk management processes based on the changing risk profiles of the market.
- (ii) The Risk management Committee (RMC) shall review the risk management framework and process of the Power Exchange on a six monthly basis in January and July each year. The RMC report shall be submitted to the board of directors. The decision of the board of directors on the subject along with the RMC report shall be submitted to the Commission within one month of the risk management review process and not later than end of February and August respectively.
-

- (iii) The Members' risk shall be monitored constantly and margins shall be collected at appropriate time for efficacy of risk management.
- (iv) Members shall be subject to margins on a gross basis across clients by the Power Exchange. There shall be no offsetting of positions of different clients of a member in the same market.

Illustration: In case of an Electricity Trader member, if his client A has a buy position of 50 Mwh and his client B has a sell position of 50 MWh in the same contract, the net position of the member in the contract is to be taken as 100 MWh. The buy position of client A and sell position of client B in the contract will not be netted. It shall be summed up to arrive at the member's open position for the purpose of margin calculation.

- (v) Members should, wherever applicable, have a prudent risk management and timely margin collection system from their clients. The quantum of margins collected by members from client shall be at the discretion of the members and as per bye laws of Power Exchange.

29. Power Exchanges may hive off the clearing and settlement function to a separate Clearing Corporation in case deemed fit. The Clearing Corporation shall be mandatory in case Power Exchanges launch financial derivative contracts

Provided that the Commission may make the requirement of setting up of Clearing Corporation mandatory for spot and term ahead markets also as and when it deems appropriate

30. Default remedy mechanism on Power Exchange or Clearing Corporation

- (i) A member may be declared a defaulter by direction or circular of the Power Exchange or Clearing Corporation if:

- (1) he is unable to fulfill his clearing or settlement obligations; or
- (2) he admits or discloses his inability to fulfill or discharge his duties, obligations and liabilities; or
- (3) he fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing-out effected against him under the Rules, Bye Laws of Power Exchange or Clearing Corporation ;

- (4) he fails to pay any sum due to the Power Exchange or Clearing Corporation which may be prescribe by them from time to time ; or
- (5) he fails to pay or deliver all moneys, electricity or other related assets due to a member who has been declared a defaulter within such time of declaration of default of such member in such manner and to such person as the Power Exchange or Clearing Corporation may direct; or
- (6) he fails to abide by the arbitration award as laid down under the Rules, Bye Laws and Regulations of Power Exchange or Clearing Corporation ; or
- (7) under any other circumstances as may be decided by the Power Exchange or Clearing Corporation from time to time.

Provided that Power Exchange or Clearing Corporation may, at its discretion, stipulate any additional criteria to declare defaulter in the Power Exchange or the Clearing Corporation as the case may be

- (ii) In the event a member is declared a defaulter and the member fails to meet the clearing and settlement obligations, the Power Exchange shall give precedence to the payment of transmission charges, scheduling and system operation charges from the deposits of the member or client as the case may be. Thereafter the Power Exchange may utilise the Settlement Fund and other monies to the extent necessary to eliminate the obligation of the defaulting member in the following order-

- (1) Liquidation of collaterals: Contributions or deposits, including margins in any form, by the defaulting member or client.
 - (2) Liquidation of security deposit: Membership deposit given by the defaulting member to the Power Exchange.
 - (3) Insurance money: Insurance taken by Power Exchange of an amount as considered appropriate by the Power Exchange for protection against defaults.
 - (4) It's Initial contribution as considered appropriate by the Power Exchange towards Settlement Guarantee Fund.
 - (5) Current year's Profits of the Power Exchange including Fines, penalty collected from members.
-

- (6) Reserves of the Power Exchange.
- (7) Contribution towards settlement guarantee fund by all members or clients:
All non-defaulting members or client's contribution in proportion of deposits towards Settlement Guarantee Fund.
- (8) Equity Capital of the Power Exchange.
- (9) Balance obligations remaining outstanding after above funds will be met by contribution from members or clients in proportion to their contribution to the SGF.

Provided that once the Clearing Corporation is hived off, the default remedy mechanism shall be handled by the Clearing Corporation and the Power Exchange shall not be held liable on this account.

31. Information Technology Infrastructure and Trading System of Power Exchange shall comply with the following:

- (i) Power Exchange shall use electronic trading system and telecommunication network;
 - (ii) The orders entered by a Member of Power Exchange shall be first checked against availability of funds/ collateral in the risk management system before being accepted in the order book of the Power Exchange. This process shall be continued even after separation of clearing function to the Clearing Corporation;
 - (iii) Automated audit trail of bids, offers, and the matching of orders or the execution of transactions on the facility shall be maintained;
 - (iv) The algorithm of the software application for price discovery and market splitting shall be in compliance with the methodology mentioned in Byelaws, Rules and Business Rules of Power Exchange as approved by the Commission;
 - (v) The Commission may Audit or appoint an agency to audit the Software application used by the Power Exchanges in operation for price discovery and market splitting on a random basis. The Power Exchanges shall produce the test results of test cases and scenarios provided by the Commission.
-

- (vi) Power Exchange shall also carry out periodic IT system audit for data security, data integrity and operational efficiency and submit its reports to the Commission annually;
- (vii) Power Exchange shall build a Disaster recovery site and alternate trading facility in case of emergency.

32. Delivery Procedure

- (i) The scheduling and delivery of contracts on Power Exchange shall be in accordance with by CERC (Open access in Inter State Transmission) regulations ,2008 and as amended from time to time ,Indian Electricity Grid Code 2009 and as amended from time to time
 - (ii) Subject to the provisions of these regulations, operationalisation of Scheduling of Collective Transactions through the Power Exchange(s), shall be in accordance with the detailed procedure issued under the CERC (Open Access in Inter State Transmission) Regulations 2008 and as amended form time to time .
 - (iii) In addition the detailed procedure may cover, though not limited to, the following aspects:
 - (a) Submission and processing of the application for scheduling of Collective Transactions
 - (b) Sharing of available transmission margins between multiple Power Exchanges
 - (c) Scheduling of Collective Transactions
 - (d) Treatment of losses
 - (e) Real time Congestion Management
 - (f) Transmission Charges, Operating Charges, Application Fees and other Commercial Conditions
 - (g) Payments and defaults in payments
 - (h) Disbursal
 - (i) Any other issue pertaining to operationalisation of Scheduling of Collective Transactions through the Power Exchange(s).
-

- (iv) The Power Exchanges shall carry out Congestion Management using Market Splitting mechanism in Day Ahead market. The Power Exchange can develop its own Market Splitting Methodology with approval of the Commission.
 - (v) Any mismatch between the scheduled and the actual drawal at drawal points and scheduled and the actual injection at injection points, including schedule for Contracts transacted on the Power Exchange of the grid connected entity will be settled by such entities under Unscheduled Interchange (UI) mechanism as per the procedure laid down by the Commission in the case of Regional Entities or any other settlement system as prescribed by concerned State Commission in case of Intra-State Entities. In case the State Commission concerned has not specified the settlement system, the Unscheduled Interchanges rate for intra-State entity shall be 105% (for overdrawals or under generation) and 95% (for under-drawals or over generation) of the Unscheduled Interchanges rate at the periphery of regional entity.
 - (vi) Scheduling of transactions in Term ahead market on Power Exchange shall be governed by Open Access Regulations, 2008 and as amended from time to time, and Indian Electricity Grid Code(IEGC) and any other relevant regulations.
 - (vii) All data transfer between National Load Despatch Centre and the Power Exchange(s) shall be done electronically through a secure communication channel.
 - (viii) Indemnification by Power Exchange –
 - (a) Power Exchange should provide that the clearance advice issued by National Load Despatch Centre shall be on good faith basis. The bye-laws should also provide that the clearance/curtailment advice by the National Load Despatch Centre shall not be binding and the Central Transmission Utility, National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres shall not have any financial liability on account of inability, for any reason whatsoever, to achieve the complete matching between the advice of the National Load Despatch Centre and the final schedules.
-

- (b) The Power Exchange(s), including its Buyers and Sellers, shall keep each of the National Load Despatch Centre /Regional/State Load Despatch Centres indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and save the National Load Despatch Centre / Regional/State Load Despatch Centres and hold them harmless from any and all damages, losses, claims and actions, including those relating to injury to or death of any person or damage to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from the transactions.
- (ix) The Power Exchange shall be responsible for payment of transmission charges, scheduling and system operation charges to LDC, STU as per the regulations specified by the Commission and State Commissions.
- (x) The National Load Despatch Centre /Regional Load despatch Centres may take appropriate decisions in the interest of System Operation. Such decisions shall be taken under intimation to the Commission.

33. Power Exchange Congestion Amount management

- (i) The Power Exchange may be vested with Congestion Amounts arising from the difference in market prices of different regions as a consequence of market splitting.

The Congestion Amount shall be maintained in a separate account by the Power Exchange to be transferred on the next working day to a regulatory fund as may be directed by the Commission.

Provided that until the time the aforesaid fund is created congestion amount shall be transferred to National Load Despatch Centre account and once such a fund is created the NLDC shall transfer the congestion amount in favour of such fund.

- (ii) Congestion Amount Fund shall be utilised in accordance with the directions of the Commission. The Commission may consider utilisation of the fund for the following purposes:-

- (a) Installation of VAR compensators, series compensators and other reactive energy generators
-

- (b) Additional transmission capacity creation for relieving congestion
 - (c) To undertake technical study of the grid for congestion reduction
 - (d) The Congestion Amount Fund may be parked with a financial institution for grant of loans at concessional rates to projects specific to congestion reduction in the grid.
 - (e) To undertake capacity building measures and training of participants of Power Exchanges
 - (f) To develop information dissemination mechanism for the participants of Power Exchanges
- (iii) The Central Transmission Utility, National Load Despatch Centre or Power Exchanges can approach the Commission with specific proposals in line with the above mentioned purposes for utilisation from the Congestion Amount Fund.
34. The Power Exchange shall submit its Annual report along with its Audited balance sheet by 30th September every year to the Commission.
35. A Power Exchange which has less than 20 % market share for continuously two financial years falling after a period of two years of commencement of its operations shall close operations or merge with an existing Power Exchange within a period of next six months. (For this purpose Market size is defined as the total Annual Turnover in Million Units of all contracts transacted in all the Power Exchanges in each financial year)
- Provided that this regulation shall not apply if there are only two Power Exchanges in operation.
36. Exit Scheme –The Power Exchange shall have their Exit scheme approved by the Commission during the registration process detailing the manner in which the running contracts on the Power Exchange shall be closed or the succession plan for all transacted contracts in case of closure of Power Exchange, cancellation or withdrawal of registration under these regulations. Thereafter the Exit scheme shall be provided in the byelaws of the Power Exchange.

Provided that the Power Exchanges operating on the date of notification of these regulations, shall submit to the Commission the exit scheme for approval within a period of one year. Consequently the bye laws shall be modified.

37. Withdrawal of registration – The Commission may for reasons to be recorded in writing and after giving the Power Exchange an opportunity of being heard, withdraw or cancel the registration accorded to the Power Exchange in any of the following events :
- (i) If the functioning of the Power Exchange is in persistent violation of the terms and conditions of these regulations or terms of registration if any;
 - (ii) If the Power exchange indulges in any persistent malpractice;
 - (iii) In case the net worth of the Power exchange reduces at any time below the specified amount and is not replenished as provided in these Regulations;
 - (iv) In case the Power Exchange fails to comply with any direction of the Commission
38. Notwithstanding such withdrawal or cancellation of the registration, contracts executed prior to such withdrawal or cancellation, shall remain valid and its performance shall be ensured by the Power Exchange or as directed by the Commission.
39. Consequent upon withdrawal or cancellation of the registration, the members of such Power Exchange shall cease to be Members of the Power Exchange.
40. The Power Exchange shall set aside sufficient funds in order to provide for settlement of any claims, pertaining to pending arbitration cases, arbitration awards, liabilities/claims of contingent nature, if any, and unresolved investors complaints/grievances lying with the Power Exchange.
41. Grievance Redressal of members and clients
- (i) Power Exchanges shall disclose on their website the details of complaints lodged by members against Power Exchange and by clients against its members.
 - (ii) Power Exchanges shall also disclose on their website the conflict resolution mechanism followed and the result of grievance resolution.
-

Part – 6**Clearing Corporation**

- 42.** Application for grant of permission to set up and operate Clearing Corporation shall be filed in the form of a petition to the Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 and as amended from time to time.
- 43. Eligibility Criteria**
- (i) Clearing Corporation shall be a separate independent corporate entity
 - (ii) This can be formed by a Power Exchange or by any other company incorporated as a company limited by shares within the meaning of the Companies Act, 1956 or by a consortium of companies having a formal agreement for this purpose. The registration shall be given to the incorporated company limited by shares finally formed by the consortium.
 - (iii) The Clearing Corporation shall have a minimum net worth of Rs 25 Crore.
- Provided that the Commission may, by order, review the network criteria, from time to time.
- 44.** The Clearing Corporation shall submit its rules and bye laws for approval of the Commission.
- 45.** The Clearing Corporation shall perform full novation, i.e., the Clearing Corporation shall interpose itself between both legs of every transaction, becoming the counterparty to both or alternatively should provide an unconditional guarantee for settlement of all transactions.
- 46.** The Clearing Corporation shall perform the function of periodical clearing and settlement of any transaction or contract of electricity in spot, term ahead and derivatives transacted on the Exchange as the case may be.
- 47.** The default remedy mechanism of Clearing Corporation shall be same as in Regulation 30. The Clearing Corporation shall publish on its website details of its membership criteria and its service charges for clearing transactions of its members.
- 48.** The Clearing Corporation may also clear OTC transactions subject to the prior approval of the Commission.

49. The Clearing Corporation shall create an Electronic clearing and settlement system for movement of funds.
50. The Clearing system shall generate different reports like obligation report, transaction report, deliveries report, bad deliveries report, funds report, margin reports etc for operational purpose.
51. The SGF of Power Exchange concerned shall be transferred to the Clearing Corporation and maintained by the Clearing Corporation once the Power Exchange hives off this activity to the Clearing Corporation.
52. The Clearing Corporation shall get a credit rating done of itself by a credit rating agency accredited by Securities Exchange Board of India (SEBI) within six months of its incorporation and inform the Commission. It shall also be displayed on its website.

Part – 7

Market Oversight

53. The Commission may issue such directions, after considering investigation report as referred in Regulation 55, as it considers appropriate to maintain market oversight and surveillance and to check market integrity in the following circumstances:-
 - (i) Manipulative or attempted manipulative activity;
 - (ii) Transactions that are misleading or deceptive, or are likely to mislead or deceive;
 - (iii) Unwarranted speculation leading to price rise;
 - (iv) Any form of cartelisation;
 - (v) Any other form of Market abuse;
 - (vi) Abuse of dominant position by any market participant;
 54. Other circumstances requiring intervention
 - (i) The Commission may, on being satisfied that any of the below mentioned circumstances exist or is likely to occur in the market, by an order, give such directions to whom as may be necessary:
-

- (a) Abnormal increase or decrease in prices of electricity;
- (b) Sudden or unreasonable fluctuations or unwarranted changes in the prices of electricity and high volatility;
- (c) Sudden high transaction volumes on an Exchange;
- (ii) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Commission may, by order in writing:
 - (a) Impose floor and cap on prices of electricity in the market
 - (b) Suspend transaction activities for a cooling off period (in case of increased volatility);
 - (c) Suspend transaction of any specific contract on Exchange;
 - (d) Increase the margin for contracts transacted on Exchange (in a case of high speculation);
 - (e) Allow only trade for trade settlements;
 - (f) Limit Open position of one participant on Exchange;
 - (g) Limit market wide position on Exchange.

55. Investigation of certain matters

- (i) The Commission may, on being satisfied that, any of the factors specified in Regulation 53 exists, at any time, by order in writing, call upon any Electricity Trader or Exchange or Member of Exchange to furnish in writing information or explanation related to the affairs of their transactions.
- (ii) Notwithstanding sub-regulation (i) above, the Commission may direct any person (hereafter referred to as "Investigating Authority") specified in the order to investigate the affairs of any Electricity Trader or Exchange or Member of Exchange including his books of account, and to report to the Commission on any investigation made by such Investigating Authority:

Provided that the Investigating Authority may, wherever necessary, employ any auditor or any other person for the purpose of assisting him in any investigation under this regulation.

Provided further that the Investigating Authority shall supply to the Electricity Trader or Exchange or Member of Exchange, as the case may be, a copy of his report on such inspection.

- (iii) It shall be the duty of every manager, managing director or other officer of the Electricity Trader or Exchange or Member of Exchange, as the case may be, to produce before the Investigating Authority directed to make the investigation under sub-regulation (ii), all such books of account, registers and other documents in his custody or power and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the Electricity Trader or Exchange or Member of Exchange, as the case may be, as the said Investigating Authority may require of him within such time as the said Investigating Authority may direct.
- (iv) On receipt of any information or report under sub-regulation (i) or sub-regulation (ii), the Commission may, after giving such opportunity to the Electricity Trader or Exchange or Member of Exchange, as the case may be, to make a representation in connection with the report as in the opinion of the Commission, seems reasonable, and after considering representation if made by order in writing —
- (a) Require the Electricity Trader or Exchange or Member of Exchange to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Commission may think fit; or
 - (b) Cancel the registration of the Power Exchange under these regulations ;
or
 - (c) Direct Power Exchange to cancel membership of a member ; or
 - (d) Direct the Power Exchange to cease to carry on the business of Power Exchange.

Provided that no action specified above shall be taken unless an opportunity of being heard is given to the person likely to be affected thereby.

56. Power to issue interim orders Where during an investigation or intervention, the Commission is satisfied that an act in contravention of these regulations has been

committed and/ or continues to be committed or that such act is about to be committed, the Commission may, by order, temporarily restrain any person from carrying on such act until the conclusion of such investigation or intervention or until further orders, after giving notice to such person.

57. Information Dissemination by Power Exchange

- (i) The exchange shall display on its website compilation of links to all relevant price sensitive information including but not limited to:
 - (a) Daily information on the Indian weather condition;
 - (b) Fuel price information;
 - (c) Reservoir levels of dams available in Central Electricity Authority website;
 - (d) Any urgent market information issued by Regional Load despatch centre on their websites;
 - (e) Planned maintenance schedule of generators / transmission lines available with Regional Load Despatch Centre / Regional Power Committee;
 - (f) Demand forecast information and load generation balance report available on Central Electricity Authority's website.
- (ii) Prices, volumes and historic prices shall be made available on the website of the exchange and should be in downloadable format.
- (iii) Traded Prices i.e., maximum, minimum, average of the month and average volume cleared shall be published in two leading newspapers once a month.
- (iv) The exchange shall organise on a regular basis Member / Client awareness programmes across the country

58. Market Surveillance by Exchange

- (i) All Exchanges shall set up a surveillance department which shall carry out day to day monitoring of transactions and surveillance. They shall also undertake other analysis as mentioned in sub regulation (v).
- (ii) The Power Exchange shall also constitute a Market Surveillance committee headed by an independent director of the board and having members from the executive team of the Power Exchange. No member of this committee shall be a Member of the Power Exchange.
- (iii) The Power Exchange surveillance department shall submit its analysis report to the market surveillance committee. The Market Surveillance committee shall submit quarterly surveillance reports to the Commission.
- (iv) Market surveillance shall be executed from a physically secure and restricted area by authorised personnel only and the personnel shall maintain information and data security at all times and especially when the auction window is open. All conversations of such personnel shall be recorded and it shall be made known to them that these are recorded telephone lines. Audio tapes shall be made available to the Commission on demand.
- (v) The surveillance department shall analyse bidding patterns and transactions of participants. The analysis report to be submitted to the Commission on quarterly basis shall be in the following particular areas but not limited to:-
 - (a) Open position by clients, by contracts;
 - (b) Members of Exchange's pattern of transaction over a specific time period;
 - (c) Daily, weekly, monthly Volatility analysis of prices (day ahead and term ahead contract prices);
 - (d) Price setter analysis of buyer and seller;
 - (e) Dominant participants and Market concentration
 - (f) Circular Trading monitoring

Explanation - A fraudulent transaction to buy and sell the same quantity of a contract, at the same price and at the same time, without actual change of ownership.

- (g) Analysis of sudden high transaction volumes or sudden increase in open position of Member of Exchange;

- (h) Analysis and reason of persistent default by any member on the Exchange or Clearing Corporation;
- (i) Analysis of transactions to check that the market splitting methodology as approved by the Commission is being followed in operation in case of congestion in transmission corridors.

59. Transaction Reporting requirement for Exchange, Electricity Trader and OTC market participants:-

- (i) All reporting shall be in electronic format.
- (ii) For Electricity Trader trade reports shall be in the format prescribed in the CERC (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2009 and as amended from time to time.
- (iii) In addition to the prescribed reports, mentioned in sub regulation (ii) Electricity Trader shall provide open position report and tenure of all trades and risk summary report on a quarterly basis for risk monitoring purpose.

Provided that the Commission may, by order, lay down and review the formats from time to time for the purpose of reporting.

- (iv) An Exchange shall report price, transaction volume, buyers and sellers on its platform on monthly basis.

Provided that the Commission may by order, review the other reporting details and reporting frequency depending on technology, type of market liquidity, volatility and other criteria in the market.

- (v) For Day ahead market, Power Exchange shall provide monthly details of all transactions on its platform in the formats appended to these regulations.

Provided that the Commission may, by order, review the formats from time to time

- (vi) For Term ahead market, Power Exchange shall also report Market Wide limit (MWL), Open Interest (OI), Open position limit of its members. MWL and OI shall also be made available on the trading system of the Power Exchange and electronic trading terminal of participants.

Explanation I - Market Wide Position Limit is the total open interest of all clients together in the market for specific contract on an Exchange.

Explanation II - Open Interest is the total number of open contracts on an underlying asset that is, the number of future contracts of a client or member that have not been exercised, expired or fulfilled by delivery.

- (vii) All exchanges shall submit analysis report mentioned in Regulation 58 sub regulation (v) to the Commission on a quarterly basis.
- (viii) The Exchange shall submit to the Commission bids of all participants along with its analysis as prescribed and as and when directed by the Commission.
- (ix) Power transacted directly between buyers and sellers for interstate transactions above 100 MW in the short term market shall be reported by them to the Commission within 10 days of execution.

60. Whistle Blowing policy

- (i) Market participants shall be entitled to report to the Commission either by letter or email, of any unscrupulous activity, wrongdoing or violation of law, as may come to their knowledge.
- (ii) The provider of the above information shall be entitled to request that its identity be kept confidential and be not disclosed.
- (iii) The Commission shall take strict action in case of any kind of retaliation to such an informant by any affected party.

61. Insider Trading Policy

A person having non-public price sensitive information relating to generator outage, plant maintenance shall not transact on the Power Exchange and Other Exchanges unless such information has been submitted to LDC.

- 62.** The Commission may, on being satisfied that a person has failed to comply with any of the provisions above, at any time, by order in writing, direct any person specified in the order to investigate the affairs of such person and to report to the Commission on any investigation made by such Investigating Authority. The provisions of Regulation 55 shall apply mutatis mutandis to the investigation specified in this regulation.

Part – 8**Miscellaneous****63. Saving of inherent powers of the Commission:**

- (i) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
- (ii) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations including summary procedures, if the Commission, in view of the special circumstance of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for so dealing with such a matter or class of matters.
- (iii) Nothing in these Regulations shall bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no regulations have been made, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

64. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

65. Provisions of these regulations are in addition to and not in derogation of any other regulation made by the Commission

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT. III/4/150/09/Exty.]

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED (day wise) THROUGH POWER EXCHANGE

Month:

[illegible]

Format-B2

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED (hour wise) THROUGH POWER EXCHANGE

Month:

Date:

Sr No	Hour	Purchase Bids		Sale Bids		Market Clearing Volume (MUs)	Market Clearing Price (Rs/KWh)
		Number of bids	Volume (MUs)	Number of bids	Volume (MUs)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Note: the data is required to be submitted for each day of the month by Power Exchange

